कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2018/819 दिनांक :: 2-8-2018

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 27 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 18 जून, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 18 जून, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 18 जून, 2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 18 जून, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: उजलिया से लाछा बासनी तक सडक निर्माण कार्य की निविदा में प्राप्त दरों के अनुमोदन बात।

उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 246, दिनांक 10.05.2016 राशि रूपये 188.62 लाख की प्राप्त की जाकर दिनांक 20.05.2016 को उक्त कार्य की ई–निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 28.06.2016 को खोली गई तथा निम्न चार फर्मों की तकनीकी बिड प्राप्त हुई –

1. मैसर्स सायर ट्रेडर्स, जोधपुर।
2. मैसर्स छगनीराम गहलोत, जोधपुर।
3. मैसर्स धायल कन्सट्रक ान कम्पनी, जोधपरु।
4. मैसर्स जय भारत कन्सट्रक ान कम्पनी, जोधपुर।

तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी बिड की जाँच में उक्त चारों निविदादाताओं को बिड Responsive पाये जाने पर उक्त संवेदकों की वित्तिय बिड खोली जानी थी, लेकिन तत्समय अधिशाषी अभियंता के Digital Signature अवधि पार होने के फलस्वरूप वित्तिय बिड दिनांक 19.08.16 को खोली गयी तथा कार्यादेश कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 07.12.16 को जारी किया गया। इस प्रकार निविदा खोलने की दिनांक 28.06.16 एवं निविदा पर अंतिम निर्णय दिनांक 24.10.16 की अवधि में कुल 118 दिन की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् मैसर्स जय भारत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (29-11% Below) दरें स्वीकृत की गयी, जो 90 दिवस से

2/8/18

अधिक होने के कारण कार्यादेश जारी किये जाने की शक्तियां 1.5.17 से पुर्व प्रचलित SOP के बिन्दु सख्या 11 के अनुसार कार्यकारी समिति मे निहित है ।

इस सम्बंध मे पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर दिनांक 27.02.17 को भेजा गया था, परन्तु EC की स्वीकृति प्राप्त होना नहीं पाया गया है। चूंकि कार्य का अंतिम बिल प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः EC की आगामी बैठक में उक्त कार्य के लिए जारी किये गये कार्यादेश के अनुमोदन हेतु प्रकरण स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 को जारी कार्यादेश का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: (1) विद्युत शाखा के रखरखाव से संबंधित वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्यो की वर्ष 2018–19 हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक कार्यालय आदेश के संदर्भ में निवेदन है कि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में विद्युत कार्य के प्रकरणों की एजेन्डा सूचि निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि (लाखो में)
1	प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण भवन में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार वायरिंग, नये पंखे, लाईट, मोटर, बैटरी एवं जनरेटर, एयर कण्डिशनर एवं लेन का रख रखाव व आवश्यकतानुसार किराये पर कूलर इत्यादि मांग के अनुसार लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुवन्ध पर)	80.00
2	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	20.00
3	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार माईक व्यवस्था करने बाबत्। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	10.00
4	प्राधिकरण कार्यालय में लगे इन्टरकॉम संचालन, एवमं रख रखाव का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	5.00
5	सम्राट अशोक उद्यान एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे कि वायरिंग, नये पंखे, लाईट आदि मांग के अनुसार लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	15.00
6	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारे एवं म्युजिकल फव्वारे का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	50.00

7	सम्राट अशोक उद्यान के ओपन थेटर में विद्युतीकरण का कार्य।	50.00
8	प्राधिकरण के पुराने भवन में सेन्ट्रल एयर कण्डिशन लगाने का कार्य।	140.00

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव के कम संख्या 1 के उपभाग के बिन्दु संख्या 8 यथा प्राधिकरण के पुराने भवन में सेन्ट्रल एयर कण्डिशन लगाने का कार्य को छोडकर शेष उपरोक्त कम संख्या 1 से 7 में वर्णित प्रस्तावों का सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

(2) :– **सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव :–** जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था करने हेतु चारो जोन में लाईटे लगाने के कार्य की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	जोन पूर्व के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
2	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
3	जोन उत्तर के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
4	जोन दक्षिण के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव में दर्शाये गये जोनवार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु वर्ष 2018–19 के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

(3) :– **प्राधिकरण क्षेत्र में लगी रोड लाईटो हेतु रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव** :– जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधीन क्षेत्र जहां रोड लाईट रख रखाव का कार्य प्राधिकरण स्तर पर किया जा रहा है इन कोलोनियों में काफी स्थानो पर रोड लाईट वायर एवं टाईमर नहीं होने के कारण लाईटो को समय पर चालू करना व बन्द करना समस्याऐं आरही है। उक्त समस्याओं को दूर करने हेतु फेस प्रथम में शहर के निकटतम कोलोनियों में वायर एवं टाईमर लगाना उचित रहेगा। उसके अनुसार निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	जोन पूर्व में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	15.00
2	जोन पश्चिम में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	25.00
3	जोन उत्तर में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	10.00
4	जोन दक्षिण में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	25.00

2/8/18

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरण क्षैत्र में लगी रोड लाईट हेतु रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य चारों जोन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

(4) :– जोधपुर शहर के पास स्थित कोलोनियों में विद्युतीकरण का कार्य – जोधपुर शहर में वार्ड 1 से 65 के बाहर की कोलोनियां जहां पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त कोलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। अतः इनके सम्पूर्ण क्षेत्र में वायर, टाईमर इत्यादि लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य करना उचित रहेगा इनमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र संबंधित है वह निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	कुड़ी पंचायत में आने वाली कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था।	50.00
2	सांगरिया पंचायत में आने वाली कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था।	50.00
3	पाल पंचायत में आने वाली कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था।	50.00
4	चौखा पंचायत में आने वाली कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था।	50.00
5	झालामण्ड पंचायत में आने वाली कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था।	50.00
6	शेरगढ विधानसभा क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था।	10.00
7	ओशिया विधानसभा क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था।	8.00
8	लूणी विधानसभा क्षेत्र में पथ प्रकाश व्यवस्था।	20.00

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित ग्राम पंचायत, कुडी, सांगरिया, पाल, चौखा एवं झालामण्ड में आने वाली कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 40.00 – 40.00 लाख रूपये के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार शेरगढ विधानसभा क्षैत्र, औसिया विधानसभा क्षैत्र एवं लूणी विधानसभा क्षैत्र के लिए कमशः 10.00 लाख, 8.00 लाख व 20.00 लाख रूपये तक की प्रकाश व्यवस्था के प्रस्ताव अनुमोदन करते हुए स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

(5) (1) भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा मुख्य सचिव को लिखे पत्र के अनुसार संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) के पत्र क्रमांक प.6(4)नविवि/ऊर्जा/2017 दिनांक 06.10.2017 के संदर्भ में प्राधिकरण क्षेत्र में लगी सोडियम लाईटो (250 वाट) के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाने के निर्देश प्रधान किये गये ताकि विद्युत की बचत की जा सकें। फेज प्रथम शहर कि तीन मुख्य रोड जिसमें पाल रोड, बनाड रोड, जैसलमेर रोड़ व सालावास रोड एवं 2000 नग सोडियम (250 वाट) जिनका रख रखाव प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। इन रोड पर जो क्षेत्र नगर निगम, जोधपुर के अधीन है यहां पर नगर निगम, जोधपुर द्वारा पूर्व में ही सोडियम लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईटे लगाई जा चुकी है। लेकिन प्राधिकरण क्षेत्र में आ रहे क्षेत्र अभी भी सोडियम लाईटे ही लगी हुई है। जिनकी संख्या निम्नानुसार है –

1. बनाड़ रोड़ श्री हॉस्पीटल से बनाड़ चौराहे तक 250 नग

नोट :— बनाड़ चौराहे से आगे के भाग में नेशनल हाईवे द्वारा टोल रोड़ के रूप में विकसित किया जा रहा है ऐसे उक्त भाग में अभी एल.ई.डी. लगाया जाना उचित नहीं रहेगा।

2. पाल रोड पर पाल बालाजी मंदिर से टोल रोड आरम्भ होती है तक का हिस्ता 300 नग

3. जैसलमेर रोड़ पर भादरवा बेरे से अरणा झरणा स्कीम तक 100 नग

नोट :— इस रोड पर पूल से लेकर अरणा झरणा स्कीम तक 50 नग पोल अधिकतर क्षतिग्रस्त हो चुके इस कारण इन 50 नग नये पोल मय केबल लगाकर लाईट लगाने का कार्य करवाया जावे। इस प्रकार कुल सोडियम लाइट 700 नग को बदला जाना है। इन 700 नग लाईटो के बदलने से प्राधिकरण को प्रति वर्ष बिजली की वर्तमान दरो से जो बचत होगी वह निम्न प्रकार है

4. सालावास रोड़ पर सांगरिया चौराहा से वाया एसटीपी होते हुए सालावास तक 300 नग

250 वाट सोडियम लाईट में विद्युत खर्च	1000x250x10x30x12 = 900000 unit per year
8/- per unit	72.00 लाख
120 वाट एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने पर होने वाला विद्युत खर्च	1000x120x10x30x12 = 432000 unit per year
8/- per unit	34.56 लाख
प्रति वर्ष बचत	37.44 लाख
1000 नग लाईट पर अनुमानित खर्चा	1000x8000= 8000000(80.00 लाख)

इस प्रकार इन लाईटो पर आने वाले खर्चे कि वसुली दो वर्ष में विद्युत बिलो में बचत से ही हो जायेगी।

(2) शहर कि मुख्य कोलोनिया जहां सोडियम लाईट जो कि 250 वाट लगी है उन लाईटो को 70 वाट की लाईट से बदला जाना उचित रहेगा 70 वाट एल.ई.डी. कि नई दरो के अनुसार फेज प्रथम में यदि 2000 सोडियम लाईट को बदले जाने पर खर्च राशि 2000x4635 = 90-00 लाख होगी।

कुल बचत = (250x2000x10x30x1270x2000x10x30x12)

(180x2000x10x30x12/1000) x 8 = 100.00 लाख

इस प्रकार एक वर्ष में विद्युत बिल में बचत के रूप में एल.ई.डी. पर होने वाली खर्च कि राशि की पूर्ति कर 10.00 लाख रूपये प्रति वर्ष राशि की बचत बिजली बिलो के होने वाले खर्च से बचाया जा सकें।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	शहर की तीनो मुख्य रोड (बनाड रोड, पाल रोड, जैसलमेर रोड) पर सोडियम लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगवाने का कार्य।	96-00
2	फेस प्रथम में मुख्य कोलोनियों में लगी सोडियम लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगवाने का कार्य।	90-00

प्राधिकरण में वर्तमान में गर्मी के मौसम में कुल 95 नग कुलर तथा 40 नग ए.सी. लगाये हुवे है। जिनके लोड़ के अनुसार विद्युत उपभोग 6 माह (अप्रेल से सितम्बर) में निम्नानुसार है :—

<u>कुलर</u>	कुल संख्या 95 नग रोजाना एक कुलर का लोड 700 वॉट 8 घण्टे के	95x700x8x30x6 = 95760 Unit

2/8/13

	अनुसार 6 माह	
एयरकण्डिशन	कुल संख्या 40 एक ए.सी. का लोड 2500 वॉट 8 घण्टे के अनुसार 6 माह	40x2500x8x30x6 = 144000 Unit
	कुल युनिट	(95760 + 144000) = 239760 Unit
	कुल खर्चा 10 रू. प्रति युनिट	239760 x 10 = 2397600
	Say	24.00 Lacs

प्राधिकरण में सेन्ट्रल एयर कण्डिशन किये जाने पर आने वाला विद्युत खर्च कुल लोड 120Kw $\frac{120 \times 1000 \times 8 \times 3 \times 6}{1000} = 172800$

कुल खर्चा 10 रू. प्रति युनिट	172800 x 10 = 1728000
Say	17.28 Lacs

प्रति वर्ष बचत
7.00 लाख विद्युत बिल व 7.00 लाख रख रखव का खर्च 7.00 + 7.00 = 14.00 Lacs

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लिया गया कि शहर की तीनों मुख्य सड़के यथा बनाड़ रोड, पाल रोड़ एवं जैसलमेर रोड पर सोडियम लाईट के स्थान पर एल.ई.डी. लाईट लगाने के प्रस्ताव लागत राशि रूपये 96.00 लाख को पायलेट प्राजेक्ट के रूप में अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया एवं इसके परीक्षण तथा विद्युत बचत के परीक्षण के बाद शेष मामलों में निर्णय लिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: कार्यकारी समिति बैठक में रखे जाने वाले विद्युत शाखा के प्रकरण

वृद्वा आश्रम रूप वाटिका महामंदिर का संचालन जोधाणा वृद्वाआश्रम कल्याण सेवा समिति के माध्यम से करवाया जा रहा था उक्त समिति ने बिना विद्युत कनेक्शन लिये विद्युत सप्लाई का उपयोग किये जाने के कारण जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी की वी.सी.आर 382/16 व व 636/16 धारा 135 भा.वि.अधि.2003 के अन्तर्गत दर्ज की गई थी। जिसमें जुर्माना राशि 10.00 लाख जमा करवाई जानी है। उक्त राशि जोधाणा वृद्वाआश्रम कल्याण सेवा समिति द्वारा ही जमा करवाई जानी थी। लेकिन उच्च न्यायालय मे लगी जनहित याचिका 14681/2016 दिनांक 06.03.2017 में मानीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त राशि प्राधिकरण को दस समान किस्तों में जमा कराने के आदेश प्रधान किये गये। उक्त राशि को जमा करवाने हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पत्र लिखा गया है कि राशि जमा करवाई जाये अन्यथा विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवा दिया जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्राधिकरण द्वारा वृद्वा आश्रम में विद्युत कनेक्शन ले लिया गया है तथा उसका नियमीत बिल भुगतान भी किया जा रहा है। लेकिन विद्युत चौरी की उक्त राशि 10.00 लाख को अभी तक जमा नहीं करवाया गया है। इसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 14681/2017 दिनाक 6 मार्च, 2017 में माननीय

2/8/18

उच्च न्यायालय द्वारा 10 समान किश्तों में राशि जमा कराने का आदेश दिया है, उसकी पालना की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: N.P.S. का भुगतान करने के लिए Online भुगतान की अनुमति बाबत।

वर्तमान में प्राधिकरण की ओर से जारी होने वाले चेको एवं आर.टी.जी.एस अधिकृतियों पर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/लेखा/908–921 दिनांक 30.11.2015 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत मुख्य लेखाधिकारी एवं निदेशक वित के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा राशियों का आहरण किया जा रहा है।

एन.पी.एस के अंशदान के भुगतान की कार्यवाही भी चेको के माध्यम से ट्रस्टी बैंक (एक्सिस बैंक) के माध्यम से की जाती रही है। परन्तु नियमों में परिवर्तन होने के कारण अब अशंदान की राशि ऑनलाइन भुगतान की जाने की अनिवार्यता हो गयी है। वर्तमान में प्राधिकरण स्तर पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था प्रचलन में नही है। इसलिए इस राशि का भुगतान ऑनलाइन किये जाने की स्वीकृति के लिए प्रकरण प्रस्तुत है।

इसके क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ आई.सी.आई.सी.आई बैक में शून्य शेष का खाता सं 016701015937 प्रयुक्त किया जाना समीचीन होगा। इस खाते को एन.पी.एस. खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाकर एन.पी.एस का अंशदान जमा करवाकर इसका ऑनलाइन हस्तान्तरण सी. आर.ए (एन.एस.डी.एल) द्वारा निर्धारित मद में किया जाना प्रस्तावित है। ऑनलाईन सुविधा के लिए बैंक के साथ चर्चा हो गयी है तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। उक्त खाते से ऑनलाइन राशि हस्तान्तरण के लिए द्विस्तरीय मेकेजिज्म उचित रहेगा। इसके संचालन के लिए वर्तमान में अधिकृत अधिकारियों को राशि हस्तान्तरण के लिए अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रकरण वादी/अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/प्रार्थी आदि की ओर से अदम पैरवी व अदम जाहरी में, नोट प्रेस पर, विड्रॉल करने पर, राजीनामा करने पर या न्यायालय आदेश की पालना न करने पर खारिज करने पर पैनल अधिवक्ता को देय फीस व किसी न्यायालय में प्राधिकरण की ओर से केवियट दायर करने पर पैनल अधिवक्ता को देय फीस के निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर होने वाले प्रकरणों में कई बार ऐसा होता है कि संबंधित न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर वादी/अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने के कारण वाद/ अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि वादी/अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/प्रार्थी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी जाती है। कई बार वादी/अपीलार्थी /याचिकाकर्ता/प्रार्थी अपने वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि को आगे चलाना नहीं चाहते हैं और इस वजह से संबंधित न्यायालय के द्वारा ऐसे वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि को Not Press के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। कई बार वादी/अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/प्रार्थी अपने

वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि में विरोधी पक्षकार से समझौता/ राजीनामा कर लेते है और उस आधार पर संबंधित न्यायालय के द्वारा ऐसे वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि को निस्तारित कर दिया जाता है। कई बार न्यायालय के किसी आदेश आदि की पालना वादी/अपीलार्थी/ याचिकाकर्ता/प्रार्थी के द्वारा नहीं किए जाने के कारण ऐसे प्रकरण को न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है (जैसे कोस्ट की राशि जमा नहीं करवाना, गवाह पेश नहीं करना आदि)। कई बार वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि किसी कमी/त्रुटि के कारण भी खारिज कर दिया जाता है (जैसे वाद हेतुक का अभाव, क्षेत्राधिकार नहीं होना, वाद विधि द्वारा वर्जित होना, आवश्यक पक्षकार को न जोड़ा जाना एवं अन्य तकनीकी कारण आदि)।

उक्त वर्णित प्रकार के प्रकरण को खारिज करने के आदेश प्रकरण की किसी भी स्टेज पर किए जाने संभव हैं। उदाहरणार्थ प्रकरण दायर होने के कुछ समय बाद ही उस प्रकरण में पहली, दूसरी या तीसरी सुनवाई तिथि पर ही प्रकरण को उक्त वर्णित तरह से खारिज कर दिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में विपक्षी जोधपुर विकास प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता को न तो प्रकरण में प्राधिकरण की ओर से जवाब पेश करने की आवश्यकता रह जाती है, न साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही प्रकरण में अंतिम निर्णय से पूर्व विस्तृत बहस करने की आवश्यकता रह जाती है। जो प्रकरण कई वर्षों तक किसी न्यायालय में विचाराधीन रहते हैं, जिनमें विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया जाता है, विपक्षी की ओर से बहुत सी सुनवाई तिथियों पर उपस्थित रहकर न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाती है, उन प्रकरणों की तुलना में उक्त वर्णित प्रकृति के प्रकरणों में संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रकरण में बहुत कम समय देने या पैरवी करने की आवश्यकता रह जाती है।

प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में जारी आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए/ 72से144/15 दिनांक 02.02.2015 में निर्देश तय किए गए थे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम पैरवी एवं वाद विड्रॉल के आधार पर खारिज किए जाने वाले प्रकरणों में 700/– रूपये प्रति प्रकरण देय होंगे (उक्त आदेश क्रमांकःएफ42/ विधि/जेडीए/72से144/15 दिनांक 02.02.2015 में अधीनस्थ न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों में प्रति प्रकरण 3,000/–रूपये की फीस तय की गई थी। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.09.2017 में प्रस्ताव संख्या 44 पर लिए गए निर्णय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों में वर्तमान में प्रति प्रकरण 5,000/–रूपये फीस तय है)।

उक्त के अलावा यह भी उल्लेख है कि किसी न्यायालय में संबंधित पैनल अधिवक्ता के मार्फत प्राधिकरण की ओर से केवियट दायर करने पर संबंधित पैनल अधिवक्ता को कितनी फीस का भुगतान किया जावे, के संबंध में पूर्व में प्राधिकरण स्तर से कोई निर्देश अब तक तय नहीं हुए हैं, अतः इस संबंध में निर्देश तय किए जाने की आवश्यकता है।

विधि शाखा में कार्यरत विधि अधिकारीगण व कार्मिकों के लिए उक्त बिन्दु पर सरल व स्पष्ट निर्देश उपलब्ध रहें, फीस भुगतान में समान एकरूप व उचित व्यवस्था कायम रहे तथा ऐसे प्रकरणों में देय राशि की गणना, प्रति प्रकरण निर्धारित फीस के आधार पर सरलता व स्पष्टता से की जा सके (फीस बढ़ने पर गणना से ऐसे प्रकरणों में देय राशि भी बढ़ जाए और राशि तय रखने की जरूरत न रह जाए), इसलिए उक्त वर्णित प्रकृति के प्रकरणों में फीस भुगतान हेतु एवं प्राधिकरण की ओर से किसी न्यायालय में केवियट दायर करने पर कितनी फीस दी जावे, के संबंध में निम्न निर्देश तय किए जाने उचित रहेंगे –

1. वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि के सम्मन/नोटिस प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर, Not Press के आधार पर खारिज होने पर, विरोधी पक्षकार से

समझौता/राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निस्तारित करने पर, वाद में किसी कमी या त्रुटि के कारण या वादी के द्वारा न्यायालय के किसी आदेश की पालना नहीं करने पर वाद को खारिज करने पर आदि की स्थिति में प्रति प्रकरण निर्धारित फीस की आधी फीस दर से फीस का भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसा निस्तारण जवाब पेश करने के बाद होता है तो प्रति प्रकरण निर्धारित फीस की तीन चौथाई फीस दर से फीस का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्णित प्रकार से प्रकरण खारिज करने के आदेशों को छोड़कर, यदि किसी प्रकरण में संबंधित पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के भीतर वाद/अपील/रिट याचिका/निगरानी आदि को गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए निस्तारित किया जाता है तो प्रकरण में संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रकरण की पूरी फीस देय होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में पारित निर्णय, उस प्रकरण में पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के पश्चात् पारित किया जाता है तो संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रकरण की पूरी फीस देय होगी, चाहे प्रकरण का निस्तारण किसी भी ढंग से किया गया हो (गुणावगुण पर या अन्य किसी ढंग से)। समस्त लंबित एवं भविष्य में दायर होने वाले प्रकरणों में फीस भुगतान में, उक्त वर्णित निर्देश के अनुसार फीस भुगतान किया जाएगा।

2. किसी न्यायालय में प्राधिकरण की ओर से संबंधित पैनल अधिवक्ता के मार्फत केवियट दायर करने पर, उस न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों में पैनल अधिवक्ता को प्रति प्रकरण देय फीस की 20 प्रतिशत राशि की दर से पैनल अधिवक्ता को केवियट दायर करने के संबंध में फीस का भुगतान किया जाएगा (प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने पर यदि उस पैनल अधिवक्ता को प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है तो ऐसी 20 प्रतिशत राशि प्रति प्रकरण देय कुल राशि के भाग के रूप में ऐसी कुल राशि में से कम कर दी जाएगी/एडजस्ट की जाएगी)।

6(A)उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रकरण वादी/अपीलार्थी/याचिकाकर्ता/प्रार्थी आदि की ओर से अदम पैरवी व अदम हाजरी में, नोट प्रेस पर, विड्रॉल करने पर, राजीनामा करने पर या न्यायालय आदेश की पालना न करने पर खारिज करने पर पैनल अधिवक्ता को देय फीस व किसी न्यायालय में प्राधिकरण की ओर से केवियट दायर करने पर पैनल अधिवक्ता को देय फीस के निर्धारण करने हेतु विधि शाखा का प्रस्ताव इस पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव को विचारार्थ प्रस्तुत करवाने एवं बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित करवाने का श्रम करावें।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–विधि द्वारा प्रकरण को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव के कियान्वयन से पूर्व प्रकरण का निदेशक–वित्त के स्तर पर परीक्षण करवा लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम बावरला खसरा संख्या 722 रकबा 25 बीघा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन (प्रकरण संख्या 67/2010)

2/8/12

आवेदक मानव कल्याण एवं विकास संस्थान जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोगा देवी पत्नि श्री सुखदेव राम चौधरी निवासी प्लाट नं. 273 सुभाष नगर, पाल रोड़, जोधपुर ने ग्राम बावरला खसरा सं. 722 रकबा 25 बीघा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक– 9 जुलाई, 2010 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान–2023 के नोटिफाईड एरिया (अधिसूचित नगरीय सीमा) से बाहर है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10 (44) नविवि/3/2009 पार्ट–1 दिनांक– 6 मई, 2015 के अनुसार मास्टर प्लान में विभिन्न संस्थाओं को मान्यता देने वाले प्राधिकृत संस्थानों द्वारा निर्धारित क्षेत्र के मानदण्डों की पूर्ति होने पर भी प्रस्तावित उपयोग (स्वास्थय/शिक्षण संस्थान आदि) अनुज्ञेय होंगे, अंकित किया है। आवेदित भूमि जोधपुर–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजस्व ग्राम देवलिया के आगे मुख्य सड़क के समीप लगभग 40 फीट चौडे राजस्व मार्ग से लगते विद्यमान है। मौका स्थिति अनुसार मौके पर भवन निर्मित है तथा निर्माण गतिविधियों संचालित हो रही है। उक्त भूमि जोधपुर से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से अन्दर राजस्व रास्ते पर स्थित है जिसे 60 फीट चौडा किया जाना होगा अर्थात् रास्ते के मध्य बिन्दु से 30 फीट भूमि छोड़कर निर्णय किया जाना उचित होगा। मास्टर प्लान अनुसार जोधपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 200 फीट एवं उसके पश्चात् 100 फीट भूमि प्लान्टेशन बेल्ट हेतु आरक्षित किया होगा।

इसी भूमि के लगते हुए आवेदक श्री आर.एन. विकास एवं शिक्षण संस्थान, जोधपुर अध्यक्ष डॉ. आर.आर. चौधरी पुत्र श्री सुखदेव राम ने ग्राम बावरला के ही खसरा नं. 722/2 की रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि को परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। जिसकी पत्रावाली प्रकरण संख्या 66/2010 पर दर्ज है। चूंकि दोनों भूमियां पर सम्मितलित रूप से भवन निर्माण हो कर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित है। अतः दोनों प्रकरणों को एक प्रकरण कर निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

आवेदक का नाम	मानव कल्याण एवं विकास संस्थान जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्रीमती गोगादेवी पत्नि श्री सुखदेव राम चौधरी निवासी प्लाट संख्या 273, सुभाष नगर, पाल रोड, जोधपुर
खसरा नम्बर/भूखण्ड संख्या मय ग्राम	राजस्व ग्राम बावरला खसरा संख्या 722
संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान में दर्शाया गया उपयोग	मिश्रित भू–उपयोग, आंशिक भाग लैण्ड पूलिंग एण्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन (मास्टर प्लान 2031 के अनुसार)
आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ

बैठक में प्रकरण के संबध में विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि दिनांक 25 जुलाई, 2017 को संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी कार्यवाही विवरण जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन

2/8/18

विभाग ने की थी, में यह निर्णय लिया गया था कि यदि वर्तमान में प्रभावी मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षैत्र के बाहर प्रस्तावित परिधि नियंत्रण पट्टी क्षैत्र एवं प्रारूप मास्टर प्लान में सम्मिलित अन्य नये राजस्व ग्रामों के क्षैत्र में प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जावे बशर्ते प्रारूप मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो। चूंकि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में बैठक में निदेशक–आयोजना के द्वारा अवगत कराया गया कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान, 2031 के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग मिश्रित, आंशिक भाग लैण्ड पूलिंग एवं रिडिस्ट्रीब्यूशन है। बैठक में निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया कि मिश्रित लैण्ड यूज में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग अनुज्ञेय है इसलिए इसमें किसी प्रकार का भू–उपयोग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु आंशिक भाग जो कि लैण्ड पूलिंग एवं रिडिस्ट्रीब्यूशन है, नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.10 (35) यूडीएच/3/2010 दिनांक 20 जुलाई, 2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार वृहद जनहित में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना होगा। चूंकि इस प्रकरण में कितना क्षैत्रफल का भू–उपयोग लैण्ड पूलिंग व रिडिस्ट्रीब्यूशन से परिवर्तित करते हुए शैक्षणिक प्रयोजनार्थ किया जाना है, इसका आंकलन किया जाना है। सम्भावित रूप से निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया है कि यह क्षैत्रफल लगभग 2 बीघा हो सकता है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 की पालना में उपरोक्तानुसार शेष क्षैत्रफल (लगभग 2 बीघा) का जनहित में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 की पालना में करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि जोधपुर–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर राजस्व राजस्व रास्ते पर स्थित है, जिसे 60 फीट चौडा किया जाना होगा अर्थात् रास्ते के मध्य बिन्दु से 30 फीट भूमि छोडी जानी होगी। मास्टर प्लान अनुसार जोधपुर–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 200 फीट एवं उसके पश्चात् 100 फीट भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की जानी होगी। कार्यकारी समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: **ग्राम उचियाडा के खसरा संख्या 1 व 2 रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग ग्रीन बेल्ट से पर्यटन इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ) भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/29/2010 आवेदक श्रीमती मोहन कंवर पुत्री श्री मगसिंह निवासी – गांव रूणकिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर जरिये आममुख्त्यार श्री मोहनसिंह पुत्र श्री मगसिंह निवासी उचियाडा, तहसील जोधपुर)**

1– आवेदकगण श्रीमती मोहन कंवर पुत्री श्री मगसिंह, निवासी– गांव–रूणकिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर जरिये आममुख्त्यार श्री मोहन सिह पुत्र श्री मगसिंह निवासी–उचियाड़ा, तहसील जोधपुर द्वारा ग्राम उचियारड़ा के खसरा संख्या 01 व 02 रकबा 42 बीघा 08 बिस्वा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग ग्रीन बैल्ट से पर्यटन इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 27 मई, 2010 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 27 मई, 2010 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2– उप–नगर नियोजक की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थल सेना क्षेत्र के करीब है, **भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा किये जाने से पूर्व सेना से अन आपत्ती लिया जाना उचित होगा।** एवं पटवारी की मौका रिपार्ट के अनुसार उक्त भूमि खाली है। तथा खसरा नं. 01 व 02

ग्राम उचियारडा का जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग पैरीफेरी कन्ट्रोल बेल्ट में आरक्षित है।

3– उक्त प्रकरण राजस्थान रिसर्जेन्ट में रखा गया। बैठक कार्यवाही विवरण के पत्र क्रमांक– एसपीए/सचिव/2018/392–399 दिनांक– 7 मई, 2018 के अन्तर्गत प्रकरण की कार्यवाही अपेक्षित है।

4– उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूखण्ड पर पर्यटन इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ) लगाया जाना आमजन के लिए उपयोगी होगा, तथा पर्यटन इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ) को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक– 12.04.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार पर्यटन इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ) गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

आवेदक का नाम	श्रीमती मोहन कंवर पुत्री श्री मगसिंह। निवासी– गांव रूणकिया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर जरिये आममुख्तयार श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मगसिंह निवासी– उचियारड़ा, तहसील जोधपुर।
खसरा नं./भूखण्ड सं. मय ग्राम	खसरा संख्या 1 व 2, ग्राम उचियारड़ा
क्षेत्रफल	42 बीघा 08 बिस्वा
संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान में दर्शाया उपयोग	आवासीय, आंशिक भाग नदी के सहारे वृक्षारोपण प्रक्रिया (मास्टर प्लान 2031 अनुसार)
आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	पर्यटक इकाई की स्थापना (होटल प्रयोजनार्थ)

उक्त प्रकरण राजस्थान सरकार के रिसर्जेन्ट राजस्थान के तहत दिनांक 5 नवम्बर, 2015 को पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार व मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉम के बीच एम.ओ.यू. हुआ है। जिसमें होटल प्रयोजनार्थ कुल क्षैत्रफल 42.08 बीघा क्षैत्र खसरा संख्या 1 व 2 ग्राम उचियारडा में प्रस्तावित किया गया है। इसी इकाई के लिए पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र कमांक एफ.9 (148) होटल पकस/2009/ 39884 दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 1 व 2 कुल रकबा 42.08 बीघा भूमि पर पर्यटन इकाई यथा होटल हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करने के लिए प्रोजेक्ट अनुमोदित करने का आदेश प्रदान किया है एवं नगरीय विभाग के पत्र कमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 जयपुर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 में पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने वाली भूमि का क्षैत्रफल 42.08 बीघा है जबकि नगरीय विकास विभाग के परिपत्र के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन 10,000 वर्ग मीटर तक ही करने के लिए सक्षम है। अतः उक्त प्रकरण मय अनुशंषा निम्नांकित शर्त के साथ राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है:–

2/8/18

मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार डी.सी.आर अनुसार आवासीय भूउपयोग में 100 फीट और उससे अधिक की सडको पर होटल (Above 50 bed) अनुज्ञेय है। उक्त भूमि में नदी के सहारे 100 फीट प्लान्टेशन रखा जाना होगा जिसका डीमार्केशन सम्बधित जोन द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा। उक्त भूमि उचियारडा से जोधपुर–जयपुर बाईपास जाने वाले सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2031 (प्रारुप) अनुसार 100 फुट रखा जाना आवश्यक है। उक्त भूमि में उत्तर पश्चिम भाग से मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) की प्रस्तावित 100 फीट रखी जानी होगी। उक्त भूमि में स्थित एच.टी. लाईन का प्रचलित नियम अनुसार सेफ्टी कोरिडोर छोडा जाना होगा। प्रस्तावित स्थल सेना क्षैत्र के करीब होने से भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अनुशंषा के साथ प्रेषित करने से पूर्व सेना से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 84 व 85 भूखण्ड संख्या 1, 2, 2ए, 89 से 98 (खसरा संख्या 84), 1 व 2 (खसरा संख्या 85) रकबा 7139.44 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2018 को होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। (प्रकरण संख्या एफ. 37/भूउप/61/ 2015 आवेदक श्री मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल जी वगैरह निवासी– 221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड, जोधपुर)

1– आवेदकगण श्री मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल जी वगैरा निवासी– 221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर द्वारा ग्राम पाल के खसरा संख्या 84 व 85 भूखण्ड संख्या 1, 2, 2ए, 89 से 98 (खसरा नं. 84), 1 व 2 (खसरा नं. 85) रकबा 7139.44 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 4 जुलाई, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 4 जुलाई, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2– आवेदित उक्त भूमि मौके पर राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 84, 85 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। आवेदित प्रकरण बाड़मेर रोड़ से जैसलमेर रोड़ को जाने वाली बाई पास रोड़ पर स्थित है। बाईपास रोड़ 200' चौड़ी तथा दोनों तरफ 75'–75' प्लांटेसन बैल्ट आरक्षित है।

3– ग्राम पाल के खसरा नं. 84 व 85 में आवेदक मुरली धर पुत्र श्री बंशीलाल वगैरा ने भूखण्ड संख्या 1, 2, 2 ए, 89 से 98 के पट्टे विलेख नगर सुधार न्यास द्वारा मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। आवेदित भूमि में रास्ते एवं हरीपट्टी की भूमि शामिल है। उक्त भूमि जयपुर जैसलमेर बाईपास पर मुख्य सड़क के मध्य से 100' फीट दूर स्थित है।

4– उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूखण्ड पर होटल प्रयोजनार्थ लगाया जाना आमजन के लिए उपयोगी होगा, तथा होटल प्रयोजनार्थ को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक– प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक– 12.04.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार पर्यटन इकाई की स्थापना होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

2/8/18

निर्णय

आवेदक का नाम	श्री मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल वगैरा, निवासी– 221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर
खसरा नं./भूखण्ड सं. मय ग्राम	खसरा नं. 84, 84/2 व 85 भूखण्ड संख्या 1, 2, 2ए, 89 से 98 व 1, 2 ग्राम पाल
क्षेत्रफल	7139.44 वर्गगज
संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान में दर्शाया उपयोग	आवासीय (मास्टर प्लान 2023 अनुसार)
आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	होटल प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण पर बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नांकित शर्तों की पालना होने पर किया जाता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 व 12 अप्रैल, 2018 की पालना में भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावेः–

1– होटल प्रयोजनार्थ आवेदन का अनुमोदन पर्यटन इकाई के रूप में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र कमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुरूप होने के बाद,

2– पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में दिनांक 28 जून, 2018 को आम सूचना वास्ते आपत्ति आमंत्रित की गयी थी जिसके जवाब में श्री के.आर. मेघवाल, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से दिनांक 11 जुलाई, 2018 को एक पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजा गया है जो कार्यालय के कमांक 7422 दिनांक 13 जुलाई, 2018 पर इनवर्ड हुआ है। अतः प्रकरण को प्रेषित करने से पूर्व उक्त आपत्ति का नियमानुसार निदेशक–आयोजना द्वारा निस्तारण किया जावे।

3– उक्त भूमि बाडमेर रोड से जैसलमेर रोड पर जाने वाली बाईपास सडक पर स्थित है जिसकी चौडाई 200 फीट तथा दोनों तरफ नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित रखी जानी है।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम सूरज बासनी खसरा सं. 20 में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग को भूमि आवंटन के अनुमोदन के संबंध में।

एजेण्डा नोटः– आवेदकगण ग्रामीण एवं पंचायत राजस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा ग्राम सूरज बासनी के खसरा संख्या 20 में रकबा 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वर्तमान में उक्त भूमि का भू–उपयोग लैण्ड पूलिंग एवं रेस्ट्रीब्यूशन जोन (MDP 2031 (DRAFT)) से सरकारी एवं अर्द्धसरकारी (पंचायत भवन) भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार–पत्र यथा राष्ट्रदूत के अंक दिनांक– 12 मई, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2/8/18

उक्त भूमि राजस्व ग्राम सूरजवासनी के खं. सं. 20 रकबा– 6.08 बीघा किस्म–बा.1 का स्वामित्व प्राधिकरण के हक में निहित है। मौके अनुसार आवंटन योग्य भूमि ग्राम की आबादी के समीप ख.सं. 20 में खाली पायी गई। आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु 1000 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जो वर्तमान में खाली रिक्त है।

खसरा संख्या 20 ग्राम सूरज बासनी का भू–उपयोग MDP 2031 (DRAFT) LAND POOLING AND REDISTRIBUTION ZONE में स्थित है। आयोजना शाखा में उलब्ध MDP 2031 (DRAFT) आपत्ति/सुझाव विश्लेषण अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। MDP 2031 (DRAFT) रिपोर्ट के अनुसार LAND POOLING AND REDISTRIBUTION ZONE के पृथक से डी.सी.आर. नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार उक्त जोन विस्तृत योजना तैयार की जावेगी। जिससे सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जावेगें। आवेदित भूमि लैण्ड पूलिंग एवं रेस्ट्रीब्यूशन जोन (MDP 2031 (DRAFT)) से सरकारी एवं अर्द्धसरकारी (पंचायत भवन) भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावाधानुसार गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरण नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुरूप ग्राम सूरज बासनी खसरा संख्या 20 कुल रकबा 6.08 हैक्टेयर में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र भवन के लिए निःशुल्क आवंटन करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया एवं उक्त भूमि ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के अनुसार लैण्ड पूलिंग एवं रिडिस्ट्रीब्यूशन जोन में होने से नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार व्यापक जनहित में राज्य सरकार का विभाग होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन करने के निदेशक–आयोजना के प्रस्ताव अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 की पालना में ही उक्त भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी करने से पूर्व इसका अनुमोदन राज्य सरकार से करवाने का कार्यकारी समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम बडा कोटेचा खसरा सं. 269 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भूमि आवंटन के अनुमोदन के संबंध में।

एजेण्डा नोटः– आवेदकगण ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं. सं तिंवरी, जोधपुर द्वारा ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 रकबा 10 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग ग्रामीण ऐरिया (MDP 2031 (DRAFT)) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार–पत्र यथा राष्ट्रदूत के अंक दिनांक– 12 मई, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 269 रकबा 38.11 किस्म गैमु मगरा भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है। मौके पर विद्यालय भवन मय चार दिवारी निर्मित है, तथा विद्यालय संचालित पाया गया। विद्यालय भवन मय चार दिवारी लगभग 10 बीघा भूमि पर स्थित है।

2/8/18

खसरा नं. 269 ग्राम बड़ा कोटेचा का भू-उपयोग MDP 2031 (DRAFT) अनुसार ग्रामीण ऐरिया में स्थित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध MDP 2031 (DRAFT) आपत्ति/सुझाव विश्लेषण अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। MDP 2031 (DRAFT) की डी.सी.आर अनुसार ग्रामीण ऐरिया में विद्यालय भवन अनुज्ञेय नहीं है, तथा भवन विनियम के प्रावधानुसार न्यूनतम पहुँच मार्ग 18 मी. आवश्यक है। आवेदित भूमि ग्रामीण ऐरिया (MDP 2031 (DRAFT)) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावाधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

उक्त प्रस्ताव खसरा संख्या 269 कुल रकबा 38.11 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन मगरा में से 10 बीघा भूमि पर विद्यालय भवन मय चार दीवारी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडा काटेचा निर्मित है। भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर क्षैत्रफल तक ही भूमि आवंटन किया जाना अनुज्ञैय है। चूंकि इस प्रकरण में विद्यालय निर्मित है इसलिए समिति ने इस बात को औचित्यपूर्ण माना है कि निर्मित विद्यालय भवन का व चार दीवारी सहित 10 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना उचित रहेगा जिस के लिए समिति स्वयं सक्षम नहीं है। अतः प्रकरण आवंटन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त क्षैत्र का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के अनुसार भू-उपयोग ग्रामीण क्षैत्र है जिसमें पृथक से विद्यालय अनुज्ञैय नहीं है। लिहाजा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार व्यापक जनहित में शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित होने से इसका भू-उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार से की जावे। चूंकि 10 बीघा भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति ही सक्षम है इसलिए इस बाबत पृथक से प्रकरण मय अनुशंषा राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम खारडा रणधीर खसरा सं. 103 में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भूमि आवंटन के अनुमोदन के संबंध में।

एजेण्डा नोटः- आवेदकगण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोधपुर आवंटन हेतु ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 1000 वर्गगज भूमि का आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान भू-उपयोग आवासीय एवं व्यवसायिक (MDP 2031 (DRAFT)) से चिकित्सालय हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्तुत है।

उक्त प्रकरण में ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नं. 103 रकबा 74.05 बीघा किस्म गोचर प्राधिकरण के खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नं. 103 में से 2 बीघा भूमि मौके पर रिक्त उपलब्ध है। मौके पर संचालित बी.टी. रोड़ के मध्य बिन्दु से 50 फीट छोड़ने के पश्चात् स्थित है। मौके पर उक्त भूमि रिक्त पायी गयी, तथा कंटिली झाड़िया उग रखी है।

आवेदित खसरा संख्या 103 राजस्व ग्राम खारडा रणधीर का भू-उपयोग MDP 2031 (DRAFT) अनुसार आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ है। मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क व एच.टी. लाईन गुजरती है। MDP 2031 (DRAFT) रिपोर्ट में डी.सी.आर. अनुसार Public / Semi-Public use में Dispensary, Clinic को 12 मीटर एवं अधिक रोड़ पर अनुज्ञेय किया गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरण ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 103 रकबा 74–05 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर में से उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के बिन्दु संख्या 3 के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त क्षैत्र का भू–उपयोग ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवासीय एवं व्यवसायिक है जिसमें डिस्पेन्सरी क्लिनिक आदि अनुज्ञेय है। अतः उक्त आवंटन मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 फीट सडक व एच.टी.लाईन के सैफ्टी कॉरिडोर छोड़ते हुए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 में अक्षय पात्र फाउंडेशन के भूमि आवंटन के अनुमोदन के संबंध में।

एजेण्डा नोटः– आवेदकगण अक्षय पात्र फाउण्डेशन, निवासी– सी–06 से सी–11 महल योजना, गानेर रोड़, जगतपुरा, जयपुर द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 827/650 में रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

वर्तमान में उक्त भूमि का भू–उपयोग आवासीय (MDP 2031 (DRAFT)) से संस्थागत के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 19.05.2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 19.05.2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त भूमि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 827/650 रकबा 340.07 बीघा में से अक्षय पात्र फाउण्डेसन द्वारा आवेदीत रकबा की मौके पर जाकर जांच की गई अक्षय पात्र संस्था के प्रतिनिधी की उपस्थिति में मौका मुआईना करने पर रोड़ पर 385 फीट की चौड़ाई में खाली भूमि तथा लम्बाई 250 फीट के पश्चात् उंचाई में पत्थरीला पहाड़ है।

उक्त भूमि का वर्तमान मास्टर प्लान MDP 2031 (DRAFT) के अनुसार आवासीय दर्शाया गया है। आवेदित भूमि आवासीय (MDP 2031 (DRAFT) से संस्थागत भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक–20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावाधानुसार संस्थागत गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खसरा संख्या 827/650 रकबा 340.07 बीघा में से अक्षयपात्र फाउण्डेशन द्वारा आवेदित रकबा आकार 385 फीट गुणा 250 फीट भूमि का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग आवासीय होने से नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 के बिन्दु संख्या 4 के कम में व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु अनुशंषा करने का निर्णय लिया गया। चूंकि उक्त क्षेत्रफल का भू–उपयोग परिवर्तन करने की अधिकारिता राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में निहित है इसलिए प्रकरण सर्व सम्मति से मय अनुशंषा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन के भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त खसरा संख्या 827/650 में क्रम संख्या 53 व

2/8/18

आपत्ति संख्या 369 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 प्राप्त हुई है। जिसके निस्तारण की कार्यवाही निदेशक–आयोजना के स्तर से किये जाने के पश्चात् प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2014 व 31 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या (2) को निरस्त कर संस्थानों व समाजों एवं मुख्यमंत्री जन आवास के अनुमोदन के संबंध में।

एजेण्डा नोट– ग्राम खोखरिया खसरा संख्या 121 व 122 किस्म गौचर।

उक्त खसरा कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 30 जुलाई 2014 व 31 जुलाई, 2014 में प्रस्ताव संख्या (2) नवीन योजनाओं के प्रकरण में ग्राम खोखरिया खसरा संख्या 121, 122 किस्म गौचर में निर्णय लिया गया, कि उक्त योजना में स्थित 21 भूखण्डों का प्राधिकरण द्वारा जरिये नीलामी निष्पादन किया जावें। परन्तु यह निर्णय प्रस्ताव संख्या 8 के क्रम में निर्णयाधीन रहेगा। उक्त निर्णय को निरस्त कर संस्थानों व समाजो एवं मुख्यमंत्री जन आवास के अनुमोदन के संबंध में संशोधित मानचित्र तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम मोगडा कलां खसरा नं. 295 में विभिन्न संस्थानों व समाजों के लिए योजना का अनुमोदन।

एजेण्डा नोटः– ग्राम मोगड़ा कलां खसरा नं. 295 के रकबा 342032.37 वर्गमीटर भूमि विभिन्न संस्थाओं व समाजों के लिए योजना का अनुमोदन के संबंध में।

उक्त योजना पूर्व में प्राधिकरण के L.P.C. बैठक दिनांक– 08.06.2018 में अनुमोदित है, उक्त निर्णय की अनुपालना में ले–आउट प्लान तैयार किया गया है। उक्त निर्णय अनुसार भूमि राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति कि 16 बैठक दिनांक– 06.04.2011 की कार्यवाही विवरण अनुसार बहुउद्देश्य प्रयोजनार्थ किया जाना है।

उक्त भूखण्ड की पटवारी के रिपोर्ट अनुसार सर्वे करवाकर मौका अनुसार उपलब्ध HPCL Pipe Line के मुटाम को सेफ्टी कोरिडोर में सम्मिलित करते हुए योजना मानचित्र में तैयार किया गया है। उक्त सेफ्टी कोरिडोर जोन से प्राप्त मौका रिपोर्ट सर्वे अनुसार है, जिसका प्रमाणिकरण HPCL द्वारा नहीं किया गया है। उक्त योजना में मुख्य जोधपुर–पाली रोड़ (200') व मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार प्रस्तावित रिंग रोड़ (300') के पश्चात् 100' प्लान्टेशन बेल्ट रखा गया है। योजना में उक्त 100' प्लान्टेशन बेल्ट उपरान्त 60' सर्विस रोड़ रखते हुए संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

2/8/16

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 551/2 रकबा 3609.14 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू–उपयोग होटल प्रयोजनार्थ से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ 37/ भूउप/12/2017 आवेदक श्री मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डस्कावयर (प्रा.) लि. जरिये डायरेक्टर नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामरतन जी चौधरी। निवासी 09, भैरू सदन, पोलो प्रथम, पावटा जोधपुर)

1– आवेदकगण श्री मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डस्क्वायर (प्रा.) लि. जरिये डायरेक्टर नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामरतन जी चौधरी। निवासी– 09, भैरू सदन, पोलो प्रथम, पावटा जोधपुर द्वारा ग्राम धिनाण की ढाणी के खसरा संख्या 551/2 रकबा 3609.14 वर्गगज भूमि के वर्तमान भू–उपयोग होटल प्रयोजनार्थ से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 29 मार्च, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 29 मार्च, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

2– आवेदित भूमि मौके पर स्वामित्व पाया गया एवं साईट प्लान अनुसार ही मौका स्थिति पाई गई। संदर्भित स्थलल से निकटतम पेट्रोल पम्प की दूरी 2.5 कि.मी. दूर है, जो बायपास रोड़ पर बासनी सालावास रोड़ चौराहा (सांगरिया चौराहा) और पाली रेलवे लाईन पर बने फ्लाई ओवर के बाद पाली रोड़ की तरफ है। यह भारत पैट्रोलियम का पैट्रोल पम्प बायपास के उत्तर दिशा में है, जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड की दिशा में निकटतम पैट्रोल पम्प 14 कि. मी. की दूरी पर डांगियावास की तरफ हाई केलीबर फिलिंग स्टेशन उचियारडा आया हुआ है। प्रस्तावित भूखण्ड से जैसलमेर रोड़ की तरफ 15 कि.मी. दूरी पर बायपास पर प्रस्तावित भूखण्ड की दिशा में कोई पैट्रोल पम्प नहीं है, तथा दूसरी तरफ आया हुआ उपराव खान पैट्रोल पम्प 07 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

3– आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड जैसलमेर जयपुर बायपास रोड़ पर स्थित है। इस बायपास पर भारी व हल्के सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन है। बायपास का यह भाग बासनी औद्योगिक क्षेत्र व बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, जिससे सांगरिया सर्किल से डी.पी.एस. सर्किल के बीच कोई पैट्रोल पम्प नहीं है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूखण्ड पर पैट्रोल पम्प लगाया जाना आमजन के लिए उपयोगी होगा, तथा पैट्रोल पम्प को व्यापक जनहित/वृहद जनहित के अन्तर्गत है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12 फरवरी, 2018 में उल्लेखित प्रावाधानुसार पैट्रोल पम्प गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

आवेदक का नाम	मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डस्क्वायर (प्रा.) लि. जरिये डायरेक्टर नरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामरतन जी चौधरी। निवासी– 9, भैरू सदन, पोलो प्रथम, पावटा, जोधपुर।
खसरा नं./भूखण्ड सं. मय ग्राम	551/2 राजस्व ग्राम धीनाणा की ढाणी
क्षेत्रफल	3609.14 वर्गगज
संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान में दर्शाया	होटल प्रयोजनार्थ (मास्टर प्लान 2023 अनुसार)

2/8/18

उपयोग	
आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक–प.1(3)नविवि/जोधपुर/2018 जयपुर, दिनांक– 30 अप्रैल, 2018 के अनुसार उक्त प्रकरण में अनुमत होटल/पर्यटन प्रयोजन से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया जावें। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रकरण को होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम डांगियावास खसरा नं. 50/3 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा में से 9680 वर्गगज (5 बीघा) भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के संबंध में। आवेदक श्री हरचन्द राम पुत्र श्री हरदान राम

आवेदकगण श्री हरचन्द राम पुत्र श्री हरदान राम, डांगियावास, जोधपुर द्वारा ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 50/3, 50/4 रकबा 05 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 23 मार्च, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 23 मार्च, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त भूमि राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा नं. 50/3, 50/4 भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान– 2023 जोधपुर के अन्तर्गत परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत आरक्षित है। परन्तु मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 के अन्तर्गत उक्त अर्बन ऐरिया के अन्तर्गत आता है। ग्राम डांगियावास के खसरा नं. 50/3, 50/4 कुल रकबा 5 बीघा भूमि की पत्रावली आवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं है। विधी शाखा के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के उपलब्ध लम्बित केस रजिस्टर के अनुसार खसरा नं. 50/3, 50/4 ग्राम– डांगियावास के स्थित आवेदक कि भूखण्ड से सम्बधित कोई वाद लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का राजस्व ग्राम डांगियावास खसरा नं. 50/3 की तरमीम नक्शे अनुसार परिक्षण करने पर MDP 2031 Draft अनुसार भू–उपयोग MDP 2031 Draft में Mix Landuse व आंशिक भाग Road Row (Right Of Way) में स्थित है। उक्त खसरा मुख्य जोधपुर–जयपुर रोड़ पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार MDP 2031 में रिपोर्ट अनुसार 200 फीट व तत्पश्चात् 100 फीट प्लान्टेशन बेल्ट रखा गया है। पार्ट प्लान MDP 2031 Draft के अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम डांगियावास के खसरा नं. 50/3, 50/4 का स्वामित्व पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकर्ड अनुसार 15.03 बीघा किस्म बा. 2 खातेदार हरचन्द राम पुत्र हरदानराम जाति– जाट के नाम दर्ज है। मौके पर ले–आउट प्लान के अनुसार 5 बीघा भूमि मे से 135' बाई 108' भाग में भवन निर्माणाधीन है, शेष भूमि खाली है। आवेदित भूमि तक पहुंच मार्ग मुख्य जयपुर–जोधपुर डांगियावास बाईपास के सीधे सम्पर्क से होते हुये ले–आउट प्लान अनुसार आवेदक की भूमि में से 60' फीट ऐपरोच रोड़ उपलब्ध हैं, मुख्य जयपुर–जोधपुर बाईपास के रोड़ भाग में से पेयजल पाईप लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावाधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

2/8/18

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

आवेदक का नाम	श्री हरचन्द राम पुत्र श्री हरदान राम, निवासी– डांगियावास
खसरा नं./भूखण्ड सं. मय ग्राम	50/3 राजस्व ग्राम डांगियावास
क्षेत्रफल	9680 वर्गगज
संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान में दर्शाया उपयोग	मिश्रित लैण्ड यूज (मास्टर प्लान 2031 अनुसार)
आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ

कार्यकारी समिति द्वारा मिश्रित लैण्ड यूज में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग अनुज्ञेय करने का निर्णय लिया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश के अनुसार दिनांक– 20.07. 2017 में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ को जनहित मान कर भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया।

उक्त भूमि जयपुर–जोधपुर रोड़ पर स्थित है जिसकी चौड़ाई 200 फीट तथा दोनों तरफ 100 फीट– 100 फीट प्लान्टेशन बैल्ट आरक्षित रखा जाना होगा। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध कराया जाना होगा। भू–उपयोग परिवर्तन के अन्तिम आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार सक्षम स्वीकृति लिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट व फर्नीचर के किराये पर व्यवस्था का कार्य हेतु वार्षिक दर संविदा (24 माह)

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा क्रमांक 04/2018–19 दिनांक 09.05.18 जो कि टेन्ट फर्नीचर की किराये पर आपूर्ति से संबंधित थी उक्त निविदा की वितीय बिड दिनांक 18.06.2018 को खोली गई, जिसमें तीन निविदाएं प्राप्त हुई, प्राप्त निविदा मे न्युनतम निविदादाता से नेगोशियेशन पश्चात प्राप्त दरो का Letter of Intent मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाउस को जरिये क्रमांक 789 दिनांक 19.06.18 को जारी किया गया।

कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में फर्म को दर संविदा आदेश दिया जा चुका है। तदनुसार उसे स्वीकृत किया जाना है अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।

क्र.सं	सामग्री का विवरण	मात्रा	यूनिट	स्वीकृत दर
1	Stage on strong iron foot :-			
2	A. 1.5 feet	1.00	Sq. Ft.	8.00
3	B. 2.5 feet	1.00	Sq. Ft.	7.00
4	C. 3' feet	1.00	Sq. Ft.	7.00
5	D. 4' feet	1.00	Sq. Ft.	11.00
6	E. 5' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00

7	F. 6' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
8	G. 7' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
9	Tripal/Tent fitting with bamboo	1.00	Sq. Ft.	2.10
10	White Top celling	1.00	Sq. Ft.	.25
11	Matting Velevet with plastic tape	1.00	Sq. Ft.	.51
12	P.V.C. Chair	1.00	Nos.	4.50
13	Dunlop Chair with cover	1.00	Nos.	9.00
14	Camper with 20 lt. Drinking water	1.00	Nos.	16.50
15	Matterss Dunlop size 3'x6'	1.00	Nos.	19.00
16	Table size 5'x2.5'	1.00	Nos.	6.90
17	Table size 5'x1.5'	1.00	Nos.	6.90
18	Table Cover	1.00	Nos.	3.50
19	Table Frill	1.00	R. Ft.	3.50
20	Velvet Gate	1.00	Nos.	3.00
21	Side celling	1.00	Sq. Ft.	.24
22	Chunnat Celling	1.00	Sq. Ft.	.43
23	Bangali piller	1.00	Nos.	10.00
24	Tripal on the stage	1.00	Sq. Ft.	.93
25	Woolen carpet of new condition (Standard)	1.00	Sq. Ft.	1.99
26	Water bottle 1 lt.	1.00	Nos.	10.00
27	Water bottle 1/2 lt.	1.00	Nos.	6.00
28	Mineral water jar 20 lt.	1.00	Nos.	22.00
29	Lota Tamba	1.00	Nos.	.01
30	Lota Plastic	1.00	Nos.	.25
31	Waiter	1.00	Nos.	125.00
32	White bed sheet	1.00	Nos.	7.48
33	Foot Step/stairs	1.00	Each	8.50
34	A. Foot Step/stairs 2.5 Ft.	1.00	Each	8.50
35	B. Foot Step/stairs 1.5 Ft.	1.00	Each	9.00
36	C. Foot Step/Stairs 3 Ft.	1.00	Each	9.00
37	D. Foot Step/staris 4 Ft.	1.00	Each	12.00
38	Gamla with plants	1.00	Each	13.25
39	V.V.I.P. Wooden chair.	1.00	Each	220.00
40	Swiss Tent with water proof canvas and frill	1.00	Sq. Ft.	14.00

2/8/18

41	Sofa with center table	1.00	Set	500.50
42	Podium	1.00	Each	99.00
43	Tub steel	1.00	Each	.01
44	Chunnat designing work	1.00	Sq. Ft.	16.50
45	Padded chari with white cover	1.00	Each	20.99
46	White towel for Dignitary status	1.00	Each	42.00
47	White napkin for Dignitary status	1.00	Each	12.00
48	VVIP Woven carpet	1.00	Sq. Ft.	2.40
49	Shamiyana	1.00	Sq. Ft.	1.75
50	Kanat	1.00	Sq. Ft.	.33
51	Iron Chair	1.00	Nos.	.80
52	Dari	1.00	Sq. Ft.	.18
53	Chandani	1.00	Sq. Ft.	.13
54	Welcome Gate Darbari	1.00	Nos.	46.00
55	Matting Red	1.00	Sq. Ft.	.32
56	Matting Velvet	1.00	Sq. Ft.	.50
57	Bangali Chunnat Frill	1.00	Sq. Ft.	.35
58	Pole cover ordinary	1.00	Nos.	.58
59	Paat size 3'x6'x1.5'	1.00	Nos.	14.00
60	Barricading with saal ballies as per design including tieng with vertical post by coconut string complete in all respect with two horizontal ballies height 1.2 Mtr. Up to 1.5 Mtr.	1.00	R. Ft.	4.99
61	Flag with pole (G.I.pipe 2"x20 feet with coloured flags)	1.00	Nos.	14.00
62	Glass with stand (6 glass with stand)	1.00	Nos.	.01
63	Sofa set with cover	1.00	Nos.	63.00
64	Dom structure without pole pandal (water proof)	1.00	Sq. Ft.	17.00
65	Water proof Tent/Tripal	1.00	Sq. Ft.	6.00
66	Canopies with curtain	1.00	Sq. Ft.	27.00
67	Dom with chunnet desigining work	1.00	Sq. Ft.	28.28
68	Cushion with cover	1.00	Nos.	3.50

2/8/18

69	Bardana	1.00	Sq. Ft.	.30
70	Ply Frame Gate	1.00	Nos.	3.65
71	Jug Steel	1.00	Nos.	.18
72	Velvet Chandni	1.00	Sq. Ft.	.30
73	Washbasin	1.00	Nos.	15.00
74	W.C. for temporary toilet	1.00	Nos.	95.00
75	Toilet made by Kanat	1.00	Nos.	95.00
76	Foot mate	1.00	Nos.	.01
77	Center Table with sunmica top Height 1/ 1/2 Feet	1.00	Nos.	7.00
78	Storage Tank for drinking Water	1.00	Nos.	8.00
79	(A) G.I. sheet tank (drum) for storage drinking water 200 litre.	1.00	Nos.	5.00
80	(B) Plastic tank (drum) for storage drinking water 200 litre.	1.00	Nos.	8.00
81	(C) Steel tank (drum) for storage drinking water 20 litre.	1.00	Nos.	8.00
82	Service Tray	1.00	Nos.	.45
83	Tea kettle	1.00	Nos.	.40
84	Tea Container Steel	1.00	Nos.	.10
85	Quarter Plate	1.00	Nos.	.01
86	Full Plate	1.00	Nos.	.01
87	Bucket of Steel	1.00	Nos.	.90
88	Bucket of Plastic	1.00	Nos.	.90
89	Tub of iron	1.00	Nos.	8.50
90	Flower with flower pot set	1.00	Nos.	8.50
91	Table With sunmica top height 2 1/2	1.00	Nos.	13.00
92	Side stool 1 1/2 height	1.00	Nos.	5.00
93	Niwar cots made of iron pipe in the size of 3'x6'	1.00	Nos.	6.00
94	New cotton mattress with white cover size 3'x6'	1.00	Nos.	6.00
95	Cottan quilt with white cover	1.00	Nos.	6.00
96	Pillow	1.00	Nos.	2.50
97	Cots of wooden	1.00	Nos.	125.00
98	Shethiya (Diwan set)	1.00	Nos.	15.00

2/8/18

99	Bamboo 18 feet	1.00	Nos.	6.00
100	Rope	1.00	R. Ft.	.40
101	Water-Stainer	1.00	Nos.	.50
102	Colorful bed sheet	1.00	Nos.	6.00
103	Chunnat pole cover	1.00	Nos.	10.00
104	Tub plastic	1.00	Nos.	8.00
105	Tub Aluminum	1.00	Nos.	8.00
106	Steel tray with glass	1.00	Nos.	.90
107	Garden Chair	1.00	Nos.	5.00
108	Tripal/Plastic sheet	1.00	Sq. Ft.	.70
109	Pipe pandal	1.00	Sq. Ft.	3.40
110	Cloth frill	1.00	Sq. Ft.	1.40
111	Panjabi Decoration	1.00	Sq. Ft.	.10
112	Mattress Foam 3'x6'x4mm	1.00	Each	17.00
113	Round Table with cover	1.00	Each	17.00
114	Dunlop Sofa set with cover	1.00	Each	95.00
115	Ramp for stage with railing	1.00	Sq. Ft.	12.50
116	Frill of plastic flower	1.00	Sq. Ft.	1.90
117	Swiss tent with attached Bathrrom (Running water) including all accessories like Bed, Table, Sofa set etc. complete in all respect.	1.00	Sq. Ft.	18.50
118	VVIP, Bathroom accessories like :- Towel, Napkin, Soap, Mirror, Comb, Tissue paper etc.	1.00	Each	159.00
119	Barricading with G.I. pipe (50 mm height 1.2 mtr. To 1.5 mtr.)	1.00	Sq. Ft.	23.00
120	Bathroom 7'x7' with W.C. and washbasin (running water).	1.00	Set	799.00
121	Velevet chair	1.00	Each	10.45
122	Pedastal fan plastic (sound less)	1.00	Each	47.00
123	Tumbler superior quality	1.00	Each	1.00
124	Decorative umbrella with curtain	1.00	Sq. Ft.	23.00
125	Steel cushion chairs with arm	1.00	Each	9.50
126	Fire Extinguisher 5kg.	1.00	Each	125.00

2/8/18

	DCP or, 4.5kg. CO_2 type quality and make, ISI approved			
127	Washbasin set with angle cock and drain pipe (Running water)	1.00	Each	290.00
128	Air/room fresheners	1.00	Each	57.00
129	Farm House Tent	1.00	Sq. Ft.	14.85
130	Fiber Gate	1.00	Sq. Ft.	5.70
131	Fountain	1.00	Each	480.00
132	Tea coaster	1.00	Each	.01
133	Rack steel	1.00	Each	27.00
134	Mirror with stand	1.00	Each	55.00
135	Water tanker 4000 lt.	1.00	Each	260.00

नोट :– लगातार एक ही स्थान पर टेन्ट व्यवस्था होने पर छूट की दरे निम्नानुसार होगी

	Break up to Period	Rate of Rebate	Remarks
	Second day to Seventh Day	25 % (Twenty Five Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी
	Subsequent Days Beyond Seventh Day	50 % (Fifty Percent)	

एजेन्डा नोट, कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: उम्मेद उद्यान में मराला चौक एवं एमपी थियेटर निर्माण हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्ति एवं निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति बाबत। (मय प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति)

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2018 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि उम्मेद उद्यान में भी जयपुर स्थित रामनिवास बाग की तर्ज पर मसाला चौक विकसित किया जाए एवं इस विकास कार्य हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाने के निर्देश प्राप्त हुए। वर्तमान में उम्मेद उद्यान का स्वामित्व जोधपुर नगर निगम के अधीन है। आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 353 दिनांक 10.07.2018 द्वारा उम्मेद उद्यान में मसाला चौक निर्माण हेतु एवं कियोस्क/दुकान आदि के हस्तान्तरण/ आबंटन व यदि कोई प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जाता है तो वह संपूर्ण राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण प्राप्त करने का अधिकारी होगा, इस हेतु नगर निगम जोधपुर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया गया। आयुक्त नगर निगम जोधपुर के पत्र क्रमांक 1253 दिनांक 12.07.2018 द्वारा उक्त विकास कार्य हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति/सहमति प्रदान की गई है :–

1. मसाला चौक उम्मेद उद्यान (पब्लिक पार्क) में निर्धारित स्थान पर विकसित किया जाता हैं तो नगर निगम जोधपुर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस हेतु कार्यकारी एजेंसी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर होगा।

2. मसाला चौक बनाने का कार्य एवं अमृत योजना का कार्य एक दूसरे को पूरक करते हुए आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए विकसित किया जावें।
3. प्रवेश शुल्क लगाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। तथा संपूर्ण राशि का अधिकारी होगा।
4. राज्य सरकार की गाईड लाईन अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण मसाला पार्क हेतु भूमि का आवंटन रेन्टल बेसिस पर कर सकेगा। भू स्वामित्व नगर निगम जोधपुर का ही रहेगा।
5. अमृत योजना हेतु पूर्व में लिये गए निर्णय हरित क्षेत्र विकास का कार्य भी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा साथ ही भविष्य में उक्त कार्य का संधारण व रखरखाव भी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
6. RTPP एक्ट अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करवावें।
7. राज्य सरकार द्वारा जारी मसाला चौक के संबंध में गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवावें।

दिनांक 13.07.2018 को मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार एवं जोधपुर कलेक्टर महोदय के मध्य आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में उम्मेद उद्यान में जयपुर स्थित रामनिवास बाग की तर्ज पर मसाला चौक विकसित/निर्माण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। जयपुर स्थित रामनिवास बाग में मसाला चौक निर्माण हेतु श्री हर्श मित्तल को कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया था। वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जोधपुर उम्मेद उद्यान में भी मसाला चौक निर्माण हेतु श्री हर्श मित्तल को कन्सलटेन्ट नियुक्त करने के निर्देश प्रदान किये गये। उम्मेद उद्यान में मसाला चौक निर्माण की अनुमानित लागत लगभग रूपये 3.50 करोड़ है। कन्सलटेन्सी कर्य की अनुमानित लागत लगभग रूपये 7.00 लाख (2 प्रतिशत निर्माण लागत) की है। अतः उम्मेद उद्यान में मसाला चौक एवं एम्पीथीएटर निर्माण हेतु , कन्सलटेन्ट नियुक्ति हेतु एवं उक्त स्थल की विस्तृत सर्वे का कार्य करवाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: प्राधिकरण कार्यालय में प्रिन्टिंग (छपाई) आपूर्ति का कार्य।

प्राधिकरण द्वारा प्रिन्टिग छपाई आपूर्ति कार्य हेतु ई–निविदा कमांक 04/2018–19 दिनांक 09.05.18 को आमंत्रित निविदा दिनांक 29.05.2018 को खोली गई। उक्त कार्य की निविदा में कुल छ निविदाएं प्राप्त हुई जिसमे से प्रथम न्युनतम निविदादाता से नेगोशियेशन पश्चात प्राप्त दरो को SOP Part-II के अनुसार अधिकृत कमेटी प्रभारी अधिकारी / अधीक्षण अभियंता/ सहायक लेखाधिकारी प्रथम/ सचिव द्वारा पत्रावली के पेरा एन/35 के अनुसार दिनांक 22.06.2018 को स्वीकृत किया गया, जिसका अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा पेरा एन/36 मे किया गया। चुंकि नियमानुसार कमेटी को 20 दिवस मे निविदा स्वीकृत करनी थी किन्तु निविदा खोलने के 51 दिवस व्यतीत होने के कारण इसकी स्वीकृति हेतु पत्रावली अगली उच्चतर समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। उच्चतर कमेटी द्वारा कार्य की पत्रावली के पेरा सं. 38–ए की निरंतरता मे निविदा स्वीकृत की गई तथा नियमानुसार उपापन की स्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा ली जाने की अपेक्षा के साथ स्वीकृति हेतु प्रकरण का एजेन्डा आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में भेजे जाने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।

क्र.सं	बीओक्यु कमांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	यूनिट	स्वीकृत दर
1	1.00	मुद्रण निविदा हेतु सूची			
2	2.00	(A) साईज/सफेद 58 GSM A Grade Mills (प्रिन्टिग एक तरफ)			
3	3.00	16x26x1	1.00	प्रति फार्म	1.05
4	4.00	16x26x2	1.00	प्रति फार्म	0.52
5	5.00	16x26x4	1.00	प्रति फार्म	0.27
6	6.00	16x26x8	1.00	प्रति फार्म	0.14
7	7.00	17x27x1	1.00	प्रति फार्म	1.18
8	8.00	17x27x2	1.00	प्रति फार्म	0.59
9	9.00	17x27x4	1.00	प्रति फार्म	0.3
10	10.00	17x27x8	1.00	प्रति फार्म	0.15
11	11.00	20x30x1	1.00	प्रति फार्म	1.49
12	12.00	20x30x2	1.00	प्रति फार्म	0.75
13	13.00	20x30x4	1.00	प्रति फार्म	0.38
14	14.00	20x30x8	1.00	प्रति फार्म	0.19
15	15.00	18x22x1	1.00	प्रति फार्म	1.02
16	16.00	18x22x2	1.00	प्रति फार्म	0.51
17	17.00	18x22x4	1.00	प्रति फार्म	0.24
18	18.00	18x22x8	1.00	प्रति फार्म	0.13
19	19.00	(B) साईज/सफेद 58 GSM A Grade Mills (प्रिन्टिग दोनो तरफ)			
20	20.00	16x26x1	1.00	प्रति फार्म	1.13
21	21.00	16x26x2	1.00	प्रति फार्म	0.58
22	22.00	16x26x4	1.00	प्रति फार्म	0.28
23	23.00	16x26x8	1.00	प्रति फार्म	0.14
24	24.00	17x27x1	1.00	प्रति फार्म	1.15
25	25.00	17x27x2	1.00	प्रति फार्म	0.61
26	26.00	17x27x4	1.00	प्रति फार्म	0.32
27	27.00	17x27x8	1.00	प्रति फार्म	0.15
28	28.00	20x30x1	1.00	प्रति फार्म	1.55
29	29.00	20x30x2	1.00	प्रति फार्म	0.8
30	30.00	20x30x4	1.00	प्रति फार्म	0.39
31	31.00	20x30x8	1.00	प्रति फार्म	0.19

2/3/18

32	32.00	18x22x1	1.00	प्रति फार्म	1.07
33	33.00	18x22x2	1.00	प्रति फार्म	0.55
34	34.00	18x22x4	1.00	प्रति फार्म	0.26
35	35.00	18x22x8	1.00	प्रति फार्म	0.13
36	36.00	(C) साईज / लेजर 80 GMM पेपर (प्रिन्टिग एक तरफ)			
37	37.00	16x26x1	1.00	प्रति फार्म	1.65
38	38.00	16x26x2	1.00	प्रति फार्म	0.82
39	39.00	16x26x4	1.00	प्रति फार्म	0.4
40	40.00	16x26x8	1.00	प्रति फार्म	0.2
41	41.00	17x27x1	1.00	प्रति फार्म	1.8
42	42.00	17x27x2	1.00	प्रति फार्म	0.9
43	43.00	17x27x4	1.00	प्रति फार्म	0.42
44	44.00	17x27x8	1.00	प्रति फार्म	0.22
45	45.00	20x30x1	1.00	प्रति फार्म	2.3
46	46.00	20x30x2	1.00	प्रति फार्म	1.17
47	47.00	20x30x4	1.00	प्रति फार्म	0.56
48	48.00	20x30x8	1.00	प्रति फार्म	0.28
49	49.00	(D) साईज / लेजर 80 GMM पेपर (प्रिन्टिग दोनो तरफ)			
50	50.00	16x26x1	1.00	प्रति फार्म	1.73
51	51.00	16x26x2	1.00	प्रति फार्म	0.86
52	52.00	16x26x4	1.00	प्रति फार्म	0.43
53	53.00	16x26x8	1.00	प्रति फार्म	0.22
54	54.00	17x27x1	1.00	प्रति फार्म	1.8
55	55.00	17x27x2	1.00	प्रति फार्म	0.9
56	56.00	17x27x4	1.00	प्रति फार्म	0.42
57	57.00	17x27x8	1.00	प्रति फार्म	0.21
58	58.00	20x30x1	1.00	प्रति फार्म	2.3
59	59.00	20x30x2	1.00	प्रति फार्म	1.25
60	60.00	20x30x4	1.00	प्रति फार्म	0.56
61	61.00	20x30x8	1.00	प्रति फार्म	0.28
62	62.00	निमंत्रण कार्ड 8 गुणा 5 एक कलर में प्रिन्टिंग मय लिफाफा (300 जीएसएम आर्ट कार्ड शीट व ताजमहल लिफाफा)	1.00	प्रति नग	1.75

63	63.00	निमंत्रण कार्ड 7 गुणा 5 एक कलर में प्रिन्टिंग मय लिफाफा (300 जीएसएम आर्ट कार्ड शीट व ताजमहल लिफाफा)	1.00	प्रति नग	1.75
64	64.00	लीज डीड रहवासीय (8.5x13.50) Ist 130 GSMand IInd 58 GSM	1.00	प्रति सेट	2
65	65.00	लीज डीड व्यवसायिक Ist 130 GSMand IInd 58 GSM	1.00	प्रति सेट	2
66	66.00	लीज डीड निर्मित आवास Ist 130 GSMand IInd 58 GSM	1.00	प्रति सेट	1.6
67	67.00	लीज डीड कृषि भूमि पट्टा विलेख (8.5x13.50) Ist 130 GSMand IInd 58 GSM	1.00	प्रति सेट	1.9
68	74.00	माप पुस्तिका (एम बी) 200 पेज	1.00	प्रति नग	38
69	75.00	पेम्पलेट रंगीन पेपर 8x22/8	1.00	प्रति नग	0.2
70	76.00	पोस्टर मल्टीकलर मे प्रिन्टिंग	1.00	प्रति नग	2.4
71	79.00	विजिटिंग कार्ड दो रंग मे स्कीन प्रिन्टिंग	1.00	प्रति कार्ड	0.9
72	81.00	फार्म पिनिंग चार्ज (प्रति सौ) 8x22/4	1.00	प्रति बुक	0.35
73	83.00	पेड बाईण्डिंग (प्रति सौ)	1.00	प्रति पेड	1.5
74	84.00	रजिस्टर केनवास बाईण्डिग (प्रति सौ) 8.5 x 13.5	1.00	प्रति नग	28
75	85.00	टेण्डर रजिस्टर 500 पेज 8.5 x 13.5	1.00	प्रति नग	140
76	87.00	टेण्डर रजिस्टर 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	70
77	88.00	कार्यालय टिप्पणी चैक लिस्ट 90–ए 16x26/4 80GSM	1.00	प्रति फार्म	0.38
78	89.00	गणना रिपोर्ट 16x26/4	1.00	प्रति फार्म	0.28
79	90.00	पंजीकरण पत्र 16x26/8	1.00	प्रति फार्म	0.16
80	91.00	राशि जमा प्रपत्र (चालान) 16x26/4	1.00	प्रति फार्म	0.28
81	93.00	नाम हस्तातंरण फार्म 16x20/4 One Side	1.00	प्रति फार्म	0.28
82	94.00	बेचान स्वीकृति फार्म 16x20/4 One Side	1.00	प्रति फार्म	0.28
83	101.00	नेगोशिऐशन फार्म 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति फार्म	0.3

2/8/18

84	102.00	लेटर पेड 100 जीएसएम बोन्ड पेपर पर साइज ए4 में गोल्डन लीफ एम्बोजिन्ग व स्क्रीन प्रिन्टिंग सहित	1.00	प्रति पेड	8.5
85	69.00	नीलामी सूचना प्रपत्र (प्रति हजार) 16x26/4 58 GSM Both Side	1.00	प्रति नग	0.39
86	70.00	कृषि भूमि नियमन आवेदन पत्र (प्रति) 4.5 Page Fs Size One Side	1.00	प्रति नग	2.2
87	71.00	अंतरिम नियमन अधिकार पत्र मय ऑफिस कॉपी 2 Paper FS Size	1.00	प्रति सेट	1.2
88	72.00	एग्रीमेन्ट फार्म बुक 5.6 Form One Side	1.00	प्रति बुक	3.4
89	86.00	सम्पति रजिस्टर 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
90	95.00	कब्जा पत्र 16x26/8 One Side	1.00	प्रति फार्म	0.19
91	96.00	पे.पोस्टिग रजिस्टर 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
92	97.00	मुवमेन्ट रजिस्टर 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
93	98.00	बैंक गांरटी रजि. 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
94	99.00	धरोहर राशि रजिस्टर 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
95	100.00	धरोहर राशि रजिस्टर 70 GSM 17x27/4 200 Page	1.00	प्रति नग	84
96	103.00	लेटर पेड 100 जीएसएम बोन्ड पेपर पर साइज 9x5.5inch में गोल्डन लीफ एम्बोजिन्ग व स्कीन प्रिन्टिंग सहित	1.00	प्रति नग	3.74
97	73.00	कृषि भूमि रूपातंरण आवंटन पत्र मय कार्यालय प्रति	1.00	प्रति सेट	2
98	80.00	किताब प्रिन्टिंग कवर मल्टीकवर मे प्रिन्टिंग (साईज ए4)	1.00	प्रति बुक	2.5
99	68.00	हुडको चालान बुक 25 पेपर नमुने के अनुसार 18x22/8 (duplicate)	1.00	प्रति बुक	6.9
100	77.00	केश बुक कार्यालय के नमुने के अनुसार (प्रति) 200 पेज	1.00	प्रति बुक	265
101	78.00	लेटर पेड दो रंग मे स्क्रीन प्रिन्टिंग A-4 Size 80 GSM	1.00	प्रति पेड	68
102	82.00	रजिस्टर बाईण्डिग (प्रति सौ) 20x30x4	1.00	प्रति नग	6.25

2/8/18

103	92.00	लीज मुक्ती प्रमाण पत्र 9.5x7.5	1.00	प्रति फार्म	0.55
104	104.00	लिफाफा 120 जीएसएम पर स्कीन प्रिण्टिग 11x5inch	1.00	प्रति नग	1.5
105	105.00	लिफाफा 120 जीएसएम पर स्कीन प्रिण्टिग 7x4inch	1.00	प्रति नग	1.25
106	106.00	विजिटिंग कार्ड गोल्डन लीफ एम्बोजिन्ग व स्कीन प्रिन्टिंग सहित	1.00	प्रति नग	3.15
					1214.92

एजेन्डा नोट, कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर बावडी, जोधपुर ग्राम बावडी के खसरा संख्या 1711 रकबा 15.06 बीघा में से 2000 वर्गमीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन के संबंध में।

आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मन्दिर बावड़ी, जोधपुर ने ग्राम बावड़ी के खसरा संख्या 1711 रकबा 15.06 बीघा में से 5 बीघा भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया था।

तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बावड़ी खसरा संख्या 1711 रकबा 15.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर भूमि वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन हेतु चाही गई भूमि उपलब्ध है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बावड़ी जोधपुर के खसरा सख्या 1711 जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अर्बन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित होकर भू–उपयोग निर्धारित नही है परन्तु जेडीए रिजन के गांवों में सम्मलित है।

उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.05.2017 में प्रस्ताव संख्या 05 रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मन्दिर बावड़ी के लिए संस्था द्वारा खसरा संख्या 1711 रकबा 15.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु मांग की गई है। नवीन आवंटन नीति–2015 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल का मापदण्ड निम्नानुसार हैः–

1. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय संभागीय मुख्यालय को छोड़कर 3000 वर्गमीटर तक
2. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय संभागीय मुख्यालय को छोड़कर 6000 वर्गमीटर तक

चुंकि आवेदित भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है, में 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है जबकि उक्त विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर का होने से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की पात्रता रखता है एवं आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बावड़ी के खसरा संख्या 1711 मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अरबन के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है जिससे इसका भू–उपयोग निर्धारित नही है। लिहाजा प्रकरण राज्य सरकार को नवीन आवंटन नीति–2015 के प्रावधान अनुसार 3000 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार सशुल्क आवंटन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।"

कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक 348 दिनांक 07.06.2017 द्वारा 3000 वर्गमीटर भूमि विद्यालय को सशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित किया गया। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 24.07.2017 द्वारा लिखा गया कि चुंकि जोधपुर संभागीय मुख्यालय होने के कारण 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु ही संस्था पात्र है चुंकि भूमि का आवंटन सशुल्क है अतः इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

अब उक्त संस्था ने प्राधिकरण में पत्र कमांक 1756 दिनांक 08.05.2013 प्रस्तुत कर 2000 वर्गमीटर भूमि उक्त विद्यालय हेतु 50 प्रतिशत रियायत के आधार पर आवंटित करने का निवेदन किया है। संस्था की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार लागत लगभग 1.63 करोड़ रूपये है जबकि संस्था की बैलेन्स शीट दिनांक 31.03.2017 के अनुसार संस्था के पास 32645/– रूपये ही उपलब्ध है। संस्था ने शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण, दान, चंदा आदि से कर लेना अंकित किया है।

नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 27.04.2018 के अनुसार समस्त संस्थाओं को संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना सृजित करने एवं तदानुसार सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 21.06.2018 के अनुसार जो आवंटन प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भिजवाये गये है उन्हे जारी निर्देश दिनांक 27.04.2018 के आधार पर निरस्त नही किया जाना है। संस्थााओ को निर्देशित किया जाता है कि भूमि आवंटन का प्रस्ताव जो ट्रस्ट बैठक में निर्णित हुए है वह चैक लिस्ट मय दस्तावेजों सहित पूर्ण कर भिजवाये। संस्थाओं द्वारा भूमि आवंटन का वही प्रस्ताव प्रेषित किया जावें जिसका निर्णय ट्रस्ट की बैठक दिनांक 31.05.2018 तक हो चुका है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संस्था द्वारा 2000 वर्ग मीटर भूमि रियायती दर पर आवंटन करने के लिए निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन करवाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में भू–उपयोग ड्राफ्ट मास्टर प्लान–2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें शैक्षणिक प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय नहीं है। लिहाजा संस्था को भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करवाने व बाद नियमानुसार परीक्षण राज्य सरकार को आवंटन व भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु भिजवाने का बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: आदर्श शिक्षण संस्थान आदर्श विद्या मंदिर ग्राम कैरू जोधपुर के खसरा संख्या 544 रकबा 43.18 बीघा गै.मु. औरण में से 5 बीघा भूमि रियायती दर पर आवंटन के संबंध में।

2/8/19

सचिव, आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र–अ प्रस्तुत कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। संस्थान ग्राम केरू के खसरा नं. 544 में 5 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार एव पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा नं. 544 कुल रकबा 43.18 बीघा गै.मु. ओरण है अतः उपरोक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरे में संस्था द्वारा चाही गई भूमि पटवारी द्वारा रिक्त दर्शायी है।

मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त भूमि का भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है। मास्टर प्लान 2031 डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन–ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण संस्था हेतु अनुज्ञेयता अंकित नही है।

1) उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 4.5.2017 में रखा गया था जिस पर कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 4.5.2017 के प्रस्ताव सं. 11 में निर्णय लिया कि माध्यमिक विद्यालय के लिये अधिकतम भूमि 6000 वर्ग मीटर आवंटन करने का नवीन आवंटन नीति 2015 में प्रावधान है। अतः राज्य सरकार को 6000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार पत्र कमांक 2139–2140 दिनांक 28.4.2017 के द्वारा 6000 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था।

2) राज्य सरकार के पत्रांक प1(15) /नविवि/2017 दिनांक 26.4.2017 के अनुसार प्राधिकरण पत्रांक 2139 दिनांक 28.4.2017 के कम में निर्देशित किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.1.2017 को पारित निर्णय, भू–आवंटन नीति 2015 के प्रावधान में तथा मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भूउपयोग अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है। राज्य सरकार से किस बिन्दु पर स्वीकृति अपेक्षित है, स्पष्ट नही है। अतः प्रकरण का परीक्षण कर उचित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावें।

3) उक्त पत्र की प्रति उत्तर अभी प्रेषित किया जाना है। इसी बीच संस्था ने अपने पत्र दिनांक 8.6.2015 द्वारा उक्त विद्यालय हेतु 4000 वर्गमीटर भूमि 50 प्रतिशत रियायत के आधार पर आवंटन की मांग की है।

4)संस्थान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर चैक लिस्ट तैयार की गयी जिसके अनुसार निम्न बिन्दु भी विचारणीय है।

अ) संस्थान द्वारा आदर्श शिक्षण संस्थान के प्रपत्र–अ में 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु संस्थान के सचिव श्री मिश्रिलाल प्रजापत के हस्ताक्षर थे वर्तमान में भूमि आवंटन हेतु संस्थान के सचिव श्री शंभु सिंह के हस्ताक्षर से पत्र प्रस्तुत किया है।

ब) आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा ग्राम केरू एवं ग्राम बावडी में विद्यालय हेतु रियायती दर पर आवंटन करने हेतु एक ही रजिस्ट्रेशन के आधार पर दो अलग–अलग कमशः केरू एव बावडी में विद्यालय आवंटन करने हेतु प्रस्तुत की। नवीन आवंटन नीति 2015 के बिन्दु सं. 6.4 एवं 6.5 निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या– 6.4 – जिस संस्थान को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में इसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नही होना चाहिए। इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर की जा सकेगी।

2/8/18

बिन्दु संख्या– 6.5 – किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कही पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्येश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरा आवंटन किया जावेगा।

स) संस्थान में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 के ऑडिट रिपोर्ट अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक संस्थान के पास रूपये 5,98,782 जमा थे तथा बैंक में शेष 1200 रू नकद जमा है। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार लागत राशि 2.33 करोड रूपये बतायी है तथा शेष राशि की व्यवस्था संस्थान द्वारा बैंक से लोन एवं चंदा लेकर की जाएगी संस्थान ने वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 के लेखे से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है।

द) भूउपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शेष है।

5) संस्थान ने पूर्व में अन्य जगह रियायती दर पर भूमि आवंटन नही होने का एवं सदस्यो के साख संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव में दर्शायी गई कमियां पूर्ण करवाने के पश्चात् प्रकरण वास्ते रियायती दर पर आवंटन एवं भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण में शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन के लिए निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुए हैः–

1. अमर शहीद कैसाराम विश्नोई सेवा संस्था बुद्ध नगर को खसरा नं. 1113 ग्राम बुद्ध नगर में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।
2. ग्राम पंचायत सरेंचा में शहीद भवानी सिंह स्मारक हेतु खसरा नं. 491 में से 500 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।

नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन का उल्लेख नही है। राजस्व (ग्रूप–6) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 01.10.2009 के अनुसार शहीद स्मारक हेतु 500 वर्गमीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया गया है। उक्त नोटिफिकेशन राजस्व भूमि पर लागू होता है। प्राधिकरण की भूमि के संबधं में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है। आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय 3 वर्ष पूर्व रजिस्ट्रेशन, 3 वर्ष के लेखे, ऑडिट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेजो सहित करना आवश्यक है। प्राधिकरण को प्राप्त ऊपर उल्लेखित दोनो प्रकरणों में उक्त दस्तावेज भी नही है। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आवेदिक संस्था ग्राम पंचायत सरेंचा को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने हेतु लिखा जा चुका है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर ने भी शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

2/3/18

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि आवंटन नीति 2015 के तहत शहीद स्मारक हेतु भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे शहीद स्मारक उसी ग्राम में बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते है जहां शहीद का निवास स्थान था। राजस्व ग्रुप–6 के नोटिफिकेशन दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के अनुसार 500 वर्ग मीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान है परन्तु प्राधिकरण की भूमि के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अतः राज्य सरकार को कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की जानी है, के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार को निवेदन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन करने बाबत।

चीफ एज्युकेटिव एंव ऑफिस सिटिंग सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'अ' एंव परिशिष्ट 1 भरकर इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें ग्राम चौखा के खसरा नं. 643/644 में 2000 वर्गगज भूमि का आवंटन किया जायें। उन्होने इसका उद्देश्य " To setup office & campus for jodhpur chapter of ICSI to serve entire western part of Rajasthan" अंकित किया है। साथ ही उन्होने संस्थान के रजिस्ट्रैशन प्रति एंव प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

इंस्टीट्यूट सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक दिनांक 15.5.2017 को प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.5.17 के प्रस्ताव संख्या 22 में निर्णय लिया कि इंस्टीट्यूट सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया को ग्राम चौखा के खसरा नं. 643/644 में 2000 वर्गगज भूमि व्यवसायिक आरक्षित दर पर आवंटन किया जावें। जिसके संबंध में संस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की व्यवसायिक आरक्षित दर पर आवटंन ना कर के आवासीय आरक्षित दर आवटंन किया जावे! अध्यक्ष महोदय ने पत्रावली पर निर्देश दिये कि प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में रखा जावें ताकि सरकारी नॉर्म्स के अनुसार निर्णय लिया जा सके। इस कार्यालय के पत्र कमांक 2455 दिनांक 6.12.17 द्वारा नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया कि संस्था को किस दर पर कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है।

इस संबंध में राज्य सरकार के पत्र कमांक प1(72) नविवि/जोधपुर/2016 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा संस्थान का प्रस्ताव प्रस्तुत डीपीआर, बिलिडिंग, प्लान्ट के आधार पर, 2000 वर्गगज भूमि के आवंटन के औचित्यमय संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु लिखा गया। संभागीय आयुक्त के कक्ष दिनांक 12.1.2018 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें निर्णय लिया कि खसरा नं. 643/644 की भूमि रामराज नगर आवासीय योजना के समीप आयी हुई है। अतः रामराज नगर की वर्तमान आरक्षित दर 5940 रू प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन करने की सर्वसमिति से अनुशंसा की जाकर राज्य सरकार को प्रेषित की जावें।

राज्य सरकार के पत्र कमांक प1(72) नविवि/जोधपुर/2016 दिनांक 8.3.2018 के पत्र में अंकित किया कि किस खसरे में कितनी भूमि का आवंटन प्रस्तावित है जिसकी पालना में दोनो खसरे की जांच सबंधित पटवारी से करवायी गयी। जांच में पटवारी द्वारा बताया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेटरी के प्रतिनिधी श्री राजकुमार राय के साथ मौका मुआयना किया गया। मौके पर बतायी गयी भूमि प्राधिकरण की योजना **अपना घर स्कीम** राधाकृष्ण पुरम चौखा के भूखण्ड संख्या 345 से 348 एवं मुख्य सडक (चौडाई 160फीट) का भाग है।

अतः उपरोक्त खसरे में अपना घर स्कीम के भूखण्ड आवंटन होने से संस्थान को ग्राम चौखा कि खसरा नं. 827/650 रकबा 340–07 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त खसरा आवासीय है जिसकी डीसीआर में संस्थागत आवंटन अनुज्ञेय है। संस्थान को खसरा नं. 827/650 ग्राम चौखा में भूमि आवंटन करने हेतु सहमति संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

राज्य सरकार से प्राप्त पत्र कमांक प. 1 (72) नविवि/ जोधपुर/ 2016 दिनांक 8 मार्च, 2018 के जवाब में उक्त खसरा संख्या 827/650 में से 2000 वर्ग मीटर भूमि रामराज नगर में वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने के लिए प्रस्तावित करने का निर्णय बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से लिया गया। उक्त भूमि ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 में संस्थागत आवंटन अनुज्ञैय है।

प्रस्ताव संख्या 25 :: नवसृजित ग्राम पंचायत तनावडा के खसरा नं. 157 पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने के संबंध में।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 नवम्बर 2017 के प्रस्ताव संख्याा 34 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 15.16 बीघा मे से 1000 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 नवम्बर 2016 के क्रम में निःशुल्क आवंटन की जावें चूंकि उक्त खसरा का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी मे आरक्षित है एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20 जुलाई 2017 के बिन्दु संख्या–1 मे व्यापक जनहित के मामले मे जिसके बिन्दु संख्या–1 पर राज्य सरकार के कार्यालय भी सम्मिलित है, का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। अतः भू उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को वास्ते निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के पत्रांक 562 दिनांक 29.12.2017 के द्वारा सार्वजनिक हित के मद्देनजर राज्य स्तर से भू उपयोग परिवर्तन अनुमति हेतु प्रकरण संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया गया।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 1(9)नविवि/जोधपुर/2018 जयपुर दिनांक 13 मार्च 2018 के द्वारा जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग हेतु जारी डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन (डी.सी.आर.) अनुसार प्राधिकरण के निर्णय उपरान्त जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। अतः तद्नुसार कार्यवाही किये जाने एवं नवसृजित ग्राम पंचाायत तनावडा के पंचायत भवन प्रयोजनार्थ खसरा नं. 157 कुल रकबा 15.16 बीघा गै.मु. गोचर मे से 1000 वर्गमीटर भूमि का नियमानुसार निःशुल्क आवंटन करने की कार्यवाही के आदेश दिये गये।

तत्पश्चात् प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2018 को रखा गया जिसके प्रस्ताव संख्या 29(25) मे निर्णाय लिया गया कि पूर्व मे कार्यकारी समिति की बैठक मे लिये गये निःशुल्क आवंटन के निर्णय के क्रम में 1000 वर्गमीटर भूमि का प्रारूप मास्टर प्लान 2031 के भू–उपयोग आवासीय से राजकीय कार्यालय सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

2/3/18

संस्थान करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्तानुसार प्रकरण मे भू–उपयोग परिवर्तन के लिये राज्य सरकार को मय अनुशंषा प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के पत्रांक 925 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा राज्य स्तर से भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रकरण मय चैक लिस्ट प्रेषित किया गया।

जिसके प्रतिउत्तर मे संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 1(9)नविवि/जोधपुर/2018 जयपुर दिनांक 12 जून 2018 के द्वारा जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) रिपोर्ट के डी.सी.आर. के अनुसार मास्टर प्लान के आवासीय भू–उपयोग मे सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय सभी सडकों पर प्राधिकरण के सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के संबंध मे जोधपुर विकास प्राधिकरण की ।नजीवतपजल सक्षम है। अतः प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिये जाने के आदेश दिये गयें।

इस संबंध मे आयोजना शाखा द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी दी गयी है :–

"जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित जिसमे डी.सी.आर. अनुसार सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय सभी सडकों पर प्राधिकरण की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त अनुज्ञेय है परन्तु उक्त खसरे के संबंध में कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/72 अनुसार आपत्ति प्राप्त है। अतः प्रकरण मे भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही है। परन्तु आपत्ति के संबंध मे निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।"

अतः ग्राम पंचायत भवन कार्यालय तनावडा हेतु 1000 वर्गमीटर के आवंटन एवं भू उपयोग परिवर्तन के संबंध मे प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत तनावडा हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: राजकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन बाबत निम्नांकित प्रकरण बाद परीक्षण कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु (आंगनवाडी केन्द्र रशीदा)

राजकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन बाबत निम्नांकित प्रकरण बाद परीक्षण कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	विभाग का नाम	आवेदन विवरण	आवेदित क्षेत्रफल	ग्राम	खसरा नं. कुल रकबा, किस्म	भूमि स्वामित्व जमाबंदी अनुसार	भू–उपयोग	संबंधित जोन	त्मउंता
1	उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर	आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु	1000 वर्गमीटर	रसीदा	181 123 बीघा गोचर	जेडीए के नाम दर्ज	U-2	पूर्व	

प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के क्रम में आंगनवाडी केन्द्र, रसीदा के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने पर सरकारी आरक्षित दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री डॉ. भागीरथ सिंह शारिरीक शिक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्ष 2016 में महा महीम राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर दिनांक 5.9.2016 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2015 को सम्मानित किया गया था। नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(1) के अनुसार राष्ट्रपति पदक से शिक्षक को पुरस्कार हेतु 200वर्गमीटर तक आरक्षित दर पर आवंटन का प्रावधान किया हुआ है तथा नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 23.8.2013 के अनुसार भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शिक्षक को 200वर्गमीटर तक भूखण्ड आवंटन आरक्षित दर पर आवंटन किया जा सकता है। इसी क्रम में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जाना है कि प्रार्थी को पूर्व में किसी भी निकायो से भूखण्ड आवंटन हुआ है अथवा नही।

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 22.6.2016 के अनुसार नगर सुधार न्यास नियम 1974 के नियम 17(1) के अर्न्तगत 50 प्रतिशत दर पर पदक विजेताओ को अधिकतम 220 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन किए जाने का प्रावधान है। जिसके कारण प्राधिकरण/न्यासो द्वारा आधिक क्षेत्रफल, दर आदि के बारे में प्रकरण राज्य सरकार को अनावयश्क भिजवा दिये जाते है जिसे उक्त प्रकरण राज्य सरकार को नही भिजवा कर परिपत्र अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल यदि भूखण्ड सृजित नही है अथवा योजना में उपलब्ध नही है तो उस स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का पत्राव तभी मान्य होगा तब मूल के क्षेत्रफल से बढा हुआ क्षेत्रफल अधिकतम 15 प्रतिशत से अधिक नही हो। यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से अधिक है तो उस स्थिती में मूल भूखण्ड के 10 प्रतिशत के बडे हुए क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर तथा शेष 5 प्रतिशत के भूखण्ड के क्षेत्रफल की दर ली जा कर भूखण्ड आवंटन किया जाएगा तथा 15 प्रतिशत तक से अधिक बढे हुए क्षेत्रफल पर कोई विचार नही किया जाएगा।

राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शिक्षक को विजयाराजे नगर योजना में पत्रावली में संलग्न रिक्त भूखण्ड की सूची अनुसार भूखण्ड सं. 227 25 50 का आवंटन किया जाने का प्रस्ताव उपायुक्त पूर्व की टिप्पणी है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में नियमों के प्रकाश में पुनःप्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 28 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन हेतु उपयोग में लिये जा रहे उपकरणों की AMC हेतु।

2/8/18

प्राधिकरण में खरीदे गये कम्प्यूटराईजे ान हेतु उपकरणों में अधिकतर उपकरण कि AMC समाप्त हो चुकी है। AMC के आभाव में उपकरण रिपेयरिंग व सर्विस कि सुविधा प्राप्त नही हो रही है।

उपरोक्त उपकरणों का उपयोग जैसे ओडिट पेरा मेनेजमेन्ट सिस्टम, इन्जिनियरिंग प्राजेक्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (ऐस्टिमेट, A&F, टेकिनकल सेक्शन, एनआईटी वर्क आर्डर, रिवाईज ऐस्टिमेट, मेजरमेन्ट बुक, रनिंग बिल), मुख्यमन्त्री जन आवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऑनलाईन सर्विसेज (नाम हस्तांतरण, मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, बेचान अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भुगतान), प्रोपटी रजिस्टर, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिग, सैलेरी सोफ्टवेयर तथा बैकअप आदि जगह हो रहा है। उक्त सोफ्टवेयर/डाटा कि उपयोगिता व महंगें पार्टस को देखते हुए AMC करवाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त उपकरणों कि AMC करवाये जाने का प्रस्ताव EC में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: भूखण्डों की विलम्ब से जमा राशि के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की विभिन्न आवासीय योजनाएं विशेष रूप से विवेक विहार आवासीय योजना में कतिपय आवेदकों द्वारा निर्धारित समयावधि के पश्चात् मूल राशि जमा करा दी है परन्तु शास्ति एवं ब्याज की राशि उनके द्वारा जमा नहीं करवायी गयी जिससे उनको उक्त भूखण्ड की लीज डीड व कब्जा पत्र आदि जारी नहीं हो सका है। ऐसे प्रकरणों में परिवादी समय समय पर प्राधिकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित होते है और कई बार लिखित में भी प्रार्थना–पत्र देकर यह जाहिर करते है कि वे ब्याज व शास्ति की राशि जमा कराने को तैयार है एवं उन्हें लीज डीड व कब्जा पत्र आदि जारी किये जावे। इस संबंध में राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 5 के अनुसार आवंटी को राशि जमा कराने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर राशि जमा करवानी होती है एवं यदि वह 90 दिवस तक राशि जमा नहीं कराता है तो उसका प्रकरण स्वतः निरस्तीकरण में आ जाता है। ऐसे निरस्तीकरण से नियमित करने की तिथि 90 दिवस के पश्चात् प्रारम्भ होती है एवं उस तिथि से एक वर्ष के भीतर भूमि निष्पादन नियम के अनुसार अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास को नियमित करने का अधिकार रखते हैं एवं 2 वर्ष की अवधि तक न्यास (ट्रस्ट) नियमितिकरण कर सकता है जिसमें नियमानुसार ब्याज व शास्ती की राशि भी ली जानी होती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् इस प्रकार के मामलों में अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास का अधिकार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त किया गया है एवं न्यास (ट्रस्ट) का अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रदान किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शास्ती व ब्याज की राशि मूल राशि जमा होने की देरी तक वसूल की जाती है। चूंकि इन प्रकरणों में मूल राशि जमा कराये हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। अतः इस प्रकार के मामलों में कुछ प्रकरणों को राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं। वर्ष 2015–16 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, जिसका परिशिष्ट–20 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। जिससे जाहिर है कि विलम्ब की अवधि की गणना मूल राशि जमा की तिथि तक ही की गई है। अतः ऐसी परिस्थिति में विलम्ब में मुख्य रूप से जितने विलम्ब के साथ मूल राशि जमा करवायी गयी है, उस समय आयुक्त अथवा कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार में प्रकरण

रहा हो तो हमारी राय में उक्त विलम्ब अवधि तक जमा की गयी मूल राशि पर नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर आयुक्त अथवा कार्यकारी समिति, जिसके भी अधिकार में प्रकरण आता हो, उसे नियमित करना चाहिए जिससे कि इस प्रकार के ऑडिट आक्षेप का निस्तारण हो सके एवं प्राधिकरण को भी वित्तीय हानि नहीं हो तथा साथ ही न्यायालय में अनावश्यक रूप से प्रकरण प्राधिकरण के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किये जावे।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में निदेशक–वित्त व निदेशक–विधि से भी पूर्व में राय ली गयी जिन्होंने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: भूखण्ड संख्या 183/3 रामराज नगर रंजना सिंह मेडतिया के संबंध में।

रंजना सिंह मेडतिया द्वारा प्राधिकरण के आवासीय योजना रामराज नगर(अधिवक्ता) में सामान्य वर्ग में आवेदन किया गया था। रामराज नगर योजना (अधिवक्ता) की लॉटरी दिनांक 22.2.2018 को प्रार्थी को भूखण्ड सं. 183 सेक्टर 3 रामराज नगर 20×45, 83.61 वर्गमीटर साइज का आवंटन हुआ। प्रार्थी को आवंटन पत्र के साथ राशि जमा कराने हेतु डिमाण्ड नोटिस भी जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करादी गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटित भूखण्ड गहरे खड्डे में होने से भूखण्ड पर निर्माण किया जाना संभव नही है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के बदले में अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी रंजना मेडतिया द्वारा भूखण्ड सं. 183 सेक्टर 3 के स्थान पर भूखण्ड सं. 17 सेक्टर 5 20×49 अर्थात् 91.07 वर्गमीटर साइज, रामराज नगर का आवंटन करने की सहमति प्रदान की है।

प्राधिकरण की कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूखण्ड सं. 183 सेक्टर 3 रामराज नगर रोड लेवल से भूखण्ड 6 से 7 फुट नीचे है जिसमें आवेदक द्वारा निर्माण करने में असमर्थता जताई है। उक्त भूखण्ड के बदले में प्रार्थी समतल भूखण्ड की मांग की है जिसका भूखण्ड सं. 17 सेक्टर 5 20× 49 91.07 वर्गमीटर साइज, का मौका देखा गया जिस पर प्रार्थी की सहमति भी है।

अतः आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर कम होने से प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्रीमती रंजन मेडतिया को भूखण्ड संख्या 17 सेक्टर–5 रामराज नगर क्षैत्रफल 91.07 वर्ग मीटर विकल्प में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड की राशि का समायोजन किया जावे एवं पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया प्रार्थी को पूर्व में आवंटित एवं

वर्तमान में आवंटित भूखण्ड के अन्तर के क्षैत्रफल की राशि वर्तमान आरक्षित दर की दुगनी दर से वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: भूखण्ड संख्या 69/3 रामराज नगर जीवनराम पुत्र भीखाराम के संबंध में।

जीवनराम पुत्र भीखाराम द्वारा प्राधिकरण के आवासीय योजना दंतोपत ठेगडी नगर में योजना की लॉटरी 25.7.2008 में भूखण्ड सं. 573, 25×49 113.81 वर्गमीटर साइज का आवंटन हुआ था एवं सडक की चौडाई 40 फीट है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की राशि समयावधि में जमा करा दी गयी थी। चूंकि उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से दिनांक 14.10.2010 को पुनः वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की लॉटरी निकाली गयी जिसमें प्रार्थी को भूखण्ड सं. 69 सेक्टर 3 में आवंटन किया गया था। जिसका क्षेत्रफल 113.81 वर्गमीटर है तथा सडक की चौडाई 40 फीट है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 69/3 रामराज नगर की लीजडीड प्राप्त कर पंजीयन कार्यलय से पंजीकृत करवा ली थी।

भूखण्ड सं. 69/3 रामराज नगर में लॉटरी दिनांक 25.7.2008 को श्रीमति सीमा सोलंकी को आवंटित किया गया था जिसमें प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की लीजडीड भी प्राप्त की गयी थी। इस प्रकार दोहरा आवंटन का प्रकरण प्राप्त हुआ है।

कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 14.10.2010 की वैकल्पिक लॉटरी हेतु मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें भूखण्ड सं. 69/3 रामराज नगर को रिक्त दर्शाया था जिसके अनुसार प्रार्थी श्री जीवनराम को वैकल्पिक भूखण्ड लॉटरी दिनांक 14.10.2010 को भूखण्ड आवंटन हुआ था।

प्रार्थी जीवनराम द्वारा भूखण्ड सं. 69 सेक्टर 3 के स्थान पर भूखण्ड सं. 63 सेक्टर 3 का क्षेत्रफल 25×49 अर्थात् 113.81 वर्गमीटर है जिसकी सडक की चौडाई 40 फीट है। रामराज नगर का आवंटन करने की सहमति प्रदान की है।

प्राधिकरण की कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूखण्ड सं. 63 सेक्टर 3 रामराज नगर मौके पर रिक्त बताया है। प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. 573 दंतोपंत ठेगडी नगर की रोड की चौडाई 40 फुट थी तथा भूखण्ड सं. 69/3 की सडक चौडाई 40 फुट थी तथा प्रस्तावित भूखण्ड सं. 63/3 रामराज नगर की सडक की चौडाई 40 फुट है तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल 25×49, 113.81 वर्गमीटर है।

अतः वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 63/3 रामराज नगर योजना क्षैत्रफल 113.81 वर्ग मीटर श्री जीवनराम पुत्र श्री भीकाराम को आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

2/8/12

प्रस्ताव संख्या 32 :: श्री मक्खन लाल राय पुत्र श्री मुकन लाल राय भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर ए कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 16.5.2018 के निर्णय अनुरूप समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन पर विचार विमर्श।

मक्खन लाल राय पुत्र मुकन लाल राय को भूखण्ड 24ए कमला नेहरू नगर द्वितिय विस्तार योजना के बदले में माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं. 12716/2017 एवं नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण गठित संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 20.11.2017 के निर्णय को कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 9.2.2018 के प्रस्ताव सं. 36 में निर्णय लिया कि रामराज नगर योजना में 266.66 वर्गगज का आवंटन किया जावे। प्रार्थी को रामराज नगर में 160 फुट सडक की चौडाई पर भूखण्ड स. 334 30×69 का आवंटन किया गया एवं आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 28.2.2018 जारी किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.5.2018 के कम में।

JDA, submit that a policy decision has been taken to allot the alternate plot to the persons situated akin to the petitioner in Arna vihar and Ramrajya Nager Schemes. The reserve price of plot no. 24A, Kamala nehru nagar originally allotted in lieu of acquistion to the petitioner Makhan Lal Rai's father is Rs 39,84,000@& Thus, the respondents as per their own decisions which have been placed on record, are under an obligation to provide a plot of same value to the petitioner as fair compensation in lieu of acquisition.

आरक्षित दर एवं डीएलसी दर तुलनात्मक रिपोर्ट

योजना का नाम	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर वर्गमीटरमें	राशि वर्गमीटर में
कमला नेहरू नगर द्वितिय विस्तार सेक्टर बी भूखण्ड सं. 24ए	2400 वर्गफीट अर्थात 222.96 वर्गमीटर	6050/– प्रतिवर्गमीटर	13,48,908/–
रामराज नगर भूखण्ड सं. 334 सेक्टर ए	2070 वर्गफीट अर्थात् 192.30 वर्गमीटर	6534/– प्रतिवर्गमीटर	12,56,507/–

अतः आरक्षित दर की तुलनात्मक उपरोक्त तालिका में अंकित की गयी है जिसके अनुसार भूखण्ड आवंटन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव में टंकण त्रुटि होने से प्रस्ताव को निम्नानुसार पढ़ा जावेः–

मक्खन लाल राय पुत्र मुकन लाल राय को भूखण्ड 24ए कमला नेहरू नगर द्वितिय विस्तार योजना के बदले में माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं. 12716/2017 एवं नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण गठित संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 20.11.2017 के निर्णय को कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 9.2.2018 के प्रस्ताव सं. 36 में निर्णय लिया कि रामराज नगर योजना में 266.66 वर्गगज का आवंटन किया जावे। प्रार्थी को रामराज नगर में

160 फुट सडक की चौडाई पर भूखण्ड स. 334 30×69 का आवंटन किया गया एवं आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 28.2.2018 जारी किया गया।

JDA, submit that a policy decision has been taken to allot the alternate plot to the persons situated akin to the petitioner in Arna vihar and Ramrajya Nager Schemes. The reserve price of plot no. 24A, Kamala nehru nagar originally allotted in lieu of acquistion to the petitioner Makhan Lal Rai's father is Rs 39,84,000@& Thus, the respondents as per their own decisions which have been placed on record, are under an obligation to provide a plot of same value to the petitioner as fair compensation in lieu of acquisition.

आरक्षित दर तुलनात्मक रिपोर्ट

योजना का नाम	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षित दर वर्गमीटरमें	राशि वर्गमीटर में
कमला नेहरू नगर द्वितिय विस्तार सेक्टर बी भूखण्ड सं. 24ए	2400 वर्गफीट अर्थात 222.96 वर्गमीटर	6050/- प्रतिवर्गमीटर	13,48,908/-
रामराज नगर भूखण्ड सं. 334 सेक्टर ए	2070 वर्गफीट अर्थात् 192.30 वर्गमीटर	6534/- प्रतिवर्गमीटर	12,56,507/-

अतः आरक्षित दर की तुलनात्मक उपरोक्त तालिका में अंकित की गयी है जिसके अनुसार भूखण्ड आवंटन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.5.2018 के कम में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि वादी श्री मक्खन लाल राय को भूखण्ड संख्या 24-ए, कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार के बदले रामराज नगर योजना में समान मूल्य का भूखण्ड आवंटित किया जावे। इस संबंध में उपायुक्त-पश्चिम से रिपोर्ट ली गयी जिनके द्वारा कमला नेहरू नगर योजना की वर्ष 2010 (जब कमला नेहरू नगर योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की गयी थी) आरक्षित दर 5000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर थी। वर्तमान में यदि कमला नेहरू नगर प्राधिकरण के पास होता तो इसकी आरक्षित दर क्या होती, इसकी गणना भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 12 (3) के अनुसार 3 वर्ष के अन्तराल में 10 प्रतिशत बढ़ाते हुए गणना की गयी एवं उस आरक्षित दर को कमला नेहरू नगर की वर्तमान आरक्षित दर मानते हुए तुलना की गयी। जिसके अनुसार कमला नेहरू नगर में पूर्व में आवंटित 222.96 वर्ग मीटर क्षैत्रफल के भूखण्ड 24-ए का कुल मूल 13.48 लाख रूपये होता है। वहीं रामराज नगर योजना में वर्तमान आरक्षित दर 6,534 रूपये प्रति वर्ग मीटर है। यदि रामराज नगर में भी श्री मक्खन लाल को 222.96 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित कर दिया जाता है तो उसका मूल्य 14.56 लाख रूपये होता है जो कि इनको आवंटित किये गये भूखण्ड से अधिक है। चूंकि प्राधिकरण के पास रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 334 सेक्टर-1 उपलब्ध है जिसका क्षैत्रफल 192.30 वर्ग मीटर है एवं इसकी आरक्षित दर 6,534/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से गणना करने पर उसका मूल्य 12.56 लाख रूपये आता है। ऐसी स्थिति में दूसरे भूखण्ड के मूल्य में अन्तर 92,401/- रूपये है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री मक्खनलाल राय को आवंटित भूखण्ड के अन्तर की राशि का समायोजन लीज राशि के रूप में कर लिया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित

भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 33 :: भूखण्ड संख्या 191/1 रामराज नगर श्री महेन्द्रसिंह राजपुरोहित के संबंध में।

श्री महेन्द्र सिंह राजपुरोहित द्वारा प्राधिकरण के आवासीय योजना रामराज नगर(अधिवक्ता) में सामान्य वर्ग में आवेदन किया गया था। रामराज नगर योजना (अधिवक्ता) की लॉटरी दिनांक 22.2.2018 को प्रार्थी को भूखण्ड सं. 191 सेक्टर 1 रामराज नगर 30×64 साइज 178.37 वर्गमीटर का आवंटन हुआ। जिसकी सडक की चौडाई 40 फीट है। प्रार्थी को आवंटन पत्र के साथ राशि जमा कराने हेतु डिमाण्ड नोटिस भी जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने से पूर्व स्थाई लोक अदालत प्रकरण सं. 157/2018 को शिकायत दर्ज की गयी। प्रार्थी ने लोक अदालत में शिकायत की गयी कि आवंटित भूखण्ड का प्रार्थी द्वारा मौका देखा गया जिसमें बताया कि आवंटित भूखण्ड के स्थान पर कोई भूखण्ड है ही नही, बल्कि एक प्राकृतिक पहाडो के बीच से निकलने वाला नाला है, जिसे किसी भी स्थिति में रहवासीय प्लॉट नही कहा जा सकता न ही किसी भी स्थिति में मकान बनाया जा सकता है। भूखण्ड सं. 191 सेक्टर 1 मौके पर 10 फीट की पट्टी है।

प्राधिकरण की कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूखण्ड पर सघन कटीली झाडिया एवं मुटाम नही लगने से भूखण्ड का सही माप तथा नाले की स्थिति स्पष्ट रूप से ज्ञात नही हो सकती। साथ ही कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि आवंटित भूखण्ड का मुटाम लगाने पर ही सही माप प्राप्त हो सकता है।

अतः आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर कम होने से प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड इसी योजना में समान आकार एवं समतुल्य रिक्त भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रार्थी द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रकरण दायर किया गया है जिसका भी जवाब भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बेठक में निर्णयाथ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी श्री महेन्द्रसिंह राजपुरोहित को लॉटरी में आवंटित भूखण्ड संख्या 191 सेक्टर–1 रामराज नगर योजना आकार 30 फीट गुणा 64 फीट के स्थान पर वैकल्पिक समान आकार का भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: श्री लाला राम जोलिया के भूखण्ड संख्या 44/4 रामराज नगर

श्री लाल राम जोलिया का प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 9.2.2018 को रखा गया था। प्रस्ताव सं. 40 में निर्णय लिया कि प्रार्थी श्री लाला राम जोलिया को भूखण्ड सं. 5 सेक्टर 4 रामराज नगर में आवंटन किया जावें तथा उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल का भी पुनः नाप

2/8/18

करवाया जावें। पूर्व में मूल आवंटित क्षेत्रफल से यदि अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है तो अधिक क्षेत्रफल की कीमत राशि वर्तमान आरक्षित दर की दुगुनी दर से वसूल की जावें।

कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय की पालना में मूल आवंटित भूखण्ड संख्या 568 दंतोपंत ठेगडी नगर 250 वर्गमीटर एवं वर्तमान आवंटित भूखण्ड संख्या 5 रामराज नगर सेक्टर 4, 322.46 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अंतर 72.46 वर्गमीटर की अधिक क्षेत्रफल की राशि वर्तमान रामराज नगर आरक्षित दर 5940रू प्रतिवर्गमीटर की दुगुनी दर से 8,60,825/— होते है जिसका नोटिस प्रार्थी को प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.5.2018 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया है कि अंतर राशि का नोटिस में वर्णित राशि 8,60,825/— रू जमा कराने का प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उपरोक्त राशि अधिक है जिसके लिए निवेदन किया कि आरक्षित दर की दुगुनी दर से कम कर आरक्षित दर का नोटिस प्रदान करने पर जो भी राशि होगी में जमा कराने को सहमत हूं।

इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव महोदय द्वारा निर्देशक विधि से पत्रावली में राय प्राप्त की गई। निर्देशक विधि की राय अनुसार प्रार्थी को मूल रूप से आवंटित भूखण्ड की लीजडीड जारी कर कब्जा सुपुर्द नही किये जाने पर प्रार्थी का कोई दोष नही था। प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के समान माप का भूखण्ड आवंटित नही कर पा रहा है। प्रार्थी के द्वारा बढी हुयी भूमि की राशि आरक्षित दर से ही वसूलने की मांग की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया जाता है तो उसकी सफलता की संभावनाए काफी प्रबल प्रतीत होती है।

अतः वस्तु स्थिति को दृष्टिगत करते हुए साम्या के सिद्वान्तो की पालना में कार्यकारी समिति से पूर्व निर्णय पर पुर्नविचार करने हेतु राय प्रस्तुत की हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्री लालाराम जोलिया को आवंटित भूखण्ड जो कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 फरवरी, 2018 के अनुसार दिया गया था एवं यह भूखण्ड दन्तोपंथ ठेगडी में पूर्व में आवंटित भूखण्ड के विवादित होने के कारण उसके एवज में दिया गया था। इस प्रकार एवज में आवंटित भूखण्ड के अतिरिक्त क्षैत्रफल के लिए आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: भूखण्ड संख्या 21 सुभाष नगर श्री जयकिशन अग्रवाल (रतन कंवर अग्रवाल)

श्री जयकिशन अग्रवाल पुत्र मगराज को सुभाष नगर लॉटरी दिनांक 23.10.1983 भूखण्ड सं. 21 क्षेत्रफल 375 वर्गगज का आवंटन हुआ था। भूखण्ड सं. 21 सुभाष नगर की नगर निगम जोधपुर से मूल पत्रावली प्राप्त हुयी है। तत्कालीन नगर विकास न्यास एवं वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या 139/10 दिनांक 13.8.1984, 27097.25/-- राशि जमा है।

उपरोक्त भूखण्ड की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सं. 21 सुभाष नगर पर छीने लगी हुई है तथा एक लोहे का गेट बना हुआ है। भूखण्ड के पिछे के हिस्से में 20×10 साइज का छीनो का कमरा बना हुआ है तथा भूखण्ड की साइज 30×60= 200 वर्गगज दर्शायी है। जेईन द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि उपरोक्त भूखण्ड पर श्री जगदीश परिहार द्वारा कब्जा किया हुआ है।

2/8/18

प्रार्थी श्री जयकिशन अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात श्रीमति रतन कंवर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 6394/2014 दर्ज करायी गयी कि आवंटित भूखण्ड सं. 21 सुभाष नगर का भौतिक कब्जा नही दिया गया।

उपरोक्त प्रकरण संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति (नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण) की बैठक दिनांक 20.2.2018 के बिन्दु सं. 2 में निर्णय लिया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का कब्जा व लाइसेंस नही देने से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। प्रकरणो के तथ्यो एवं अभिलेख के आधार पर समिति का यह निष्कर्ष है कि यदि नगर निगम जोधपुर के द्वारा शीघ्र ही आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलाया जावें, यदि ऐसा संभव नही हो तो याचिकार्थिया को सुभाष नगर योजना में उपलब्ध अन्य कोई रिक्त भूखण्ड आवंटित किया जावें। यदि सुभाष नगर योजना में कोई भी रिक्त भूखण्ड नही हो तो नगर निगम के द्वारा अवगत कराये जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली के पैरा एन 53 में नगर निगम जोधपुर द्वारा सुभाष नगर योजना में रिक्त भूखण्ड नही होने से नगर निगम द्वारा भूखण्ड आवंटन नही किया गया।

संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति के निर्णय के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की आवासीय योजना अरना विहार योजना में निम्न रिक्त भूखण्ड है।

क्रम संख्या	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	भूखण्ड का क्षेत्रफल मीटर में	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गगज में
1	6	ए	375	448.41
2	25	ए	375	448.41
3	106	ए	234	279.87
4	127	ए	234	279.87

उपरोक्त रिक्त भूखण्डो में से एक भूखण्ड का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में प्रार्थी से भूखण्ड आवंटन की सहमति लेकर प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री जयकिशन अग्रवाल को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के बदले में अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या 6, 25, 106, 127 सेक्टर–ए में से सहमति ली जाकर कोई एक भूखण्ड आवंटन किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: भूखण्ड संख्या 72 सुभाष नगर श्री शंकरलाल

प्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र हेमराज को लॉटरी दिनांक 23.10.83 से भूखण्ड सं. 72 का आवंटन हुआ जिसका क्षेत्रफल 152.77 वर्गगज है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की राशि 9957. 75/– रू जरिये रसीद संख्या 849/21 दिनांक 24.8.1985 को राशि जमा करायी है। नगर निगम से उपरोक्त भूखण्ड की भूल पत्रावली जोधपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त प्रकरण संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति (नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण) की बैठक दिनांक 20.2.2018 के बिन्दु सं. 5 में निर्णय लिया कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का कब्जा व लाइसेंस नही देने से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। प्रकरणो के तथ्यो एवं अभिलेख के आधार पर समिति का यह निष्कर्ष है कि यदि नगर निगम जोधपुर के द्वारा शीघ्र ही आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलाया जावें, यदि ऐसा संभव नही हो तो याचिकार्थि को सुभाष नगर योजना में उपलब्ध अन्य कोई रिक्त भूखण्ड आवंटित किया जावें। यदि सुभाष नगर योजना में कोई भी रिक्त भूखण्ड नही हो तो नगर निगम के द्वारा अवगत कराये जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली के पैरा एन 11 में नगर निगम जोधपुर द्वारा सुभाष नगर योजना में रिक्त भूखण्ड नही होने से नगर निगम द्वारा भूखण्ड आवंटन नही किया गया।

संयुक्त परिवेदना निस्तारण समिति के निर्णय के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय द्वारा प्रार्थी को अरना विहार योजना के भूखण्ड सं. 249 सेक्टर बी का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर अर्थात् 143.52 वर्गगज भूखण्ड की सहमति लेने का आदेश पत्रावली में किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी श्री उपरोक्त भूखण्ड की सहमति हेतु पत्र दिनांक 3.7.2018 को प्रेषित किया गया है किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की सहमति प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन का आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व सहमति लेने के पश्चात प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।

अतः प्रकरण भूखण्ड आवंटन हेतु कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थी श्री शंकरलाल को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या 249 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 143.52 वर्ग गज का आवंटन सहमति लेकर किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 37 :: भूखण्ड संख्या 282 सेक्टर 2 रामराज नगर के दोहरा आवंटन के कम में प्रथम आवंटित भूखण्ड संख्या 373 सेक्टर 1 राजराज नगर के एवज में अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन बाबत। आवंटी श्री किशन लाल गौड़।

श्री किशनलाल गौड को लॉटरी दिनांक 2.9.2008 को भूखण्ड सं. 373 सेक्टर 1 39 X 89, 322.45 वर्गमीटर का रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि समयावधि में जमा करा दी थी तथा आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा एवं लीजडीड भी प्राप्त कर ली गयी थी।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटित भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति का अतिकमण होने से मुझे दुसरा भूखण्ड आवंटित किया जावें।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड सं. 373 सेक्टर 1 रामराज नगर योजना का भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड की लॉटरी दिनांक 14.10.2010 को निकाली गयी जिसमें प्रार्थी श्री किशनलाल गौड को भूखण्ड सं. 282 सेक्टर 2 रामराज नगर

का क्षेत्रफल 217.94 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किया गया था।

भूखण्ड सं. 282 सेक्टर 2 रामराज नगर का आवंटन पूर्व में अधिवक्ता की लॉटरी दिनांक 14.7.2008 को श्री अनिल प्रजापत को आवंटन किया हुआ है एवं उक्त भूखण्ड की प्रार्थी द्वारा कीमत राशि जमा करा दी गयी। इस प्रकार यह भूखण्ड भी विवादित हो गया व प्रार्थी को नही दिया जा सका।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिवक्ता श्री अनिल प्रजापत को भूखण्ड संख्या 282/2 पूर्व में आवंटन होने से मुझे इसी योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया है। रामराज नगर में कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सं. 373 सेक्टर 1 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है तथा भूखण्ड पर कच्ची बस्ती बसी हुई है तथा भूखण्ड सं. 282/2 अधिवक्ता श्री अनिल प्रजापत को पूर्व में आवंटन होने से प्रार्थी को इसी योजना में भूखण्ड सं. 3, 4, 6, 7 भूखण्ड साइज 39 X 89, 322.45 वर्गमीटर के रिक्त दर्शाए है। उपरोक्त सभी भूखण्ड सडक की चौडाई 100 फीट है तथा पूर्व में किये गये आवंटन 60 फीट चौडाई पर थे।

अतः प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री किशनलाल गौड को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 3, 4, 6, 7 जिनका क्षेत्रफल 322.45 वर्ग मीटर है, में से कोई एक भूखण्ड का आवंटन विकल्प लेकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: भूखण्ड संख्या 238 सेक्टर–ए मामा अचलेश्वर प्रसाद योजना ग्राम सांगरिया, जोधपुर के दोहरा आवंटन हो जाने के संबंध में।

1– **भूखण्ड संख्या 238 सेक्टर–ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद योजना श्री उम्मेद सिह पुत्र श्री शेषकरण को आवंटित भूखण्ड के संबंध में।**

2– **भूखण्ड संख्या 238 सेक्टर–ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद योजना श्री रामनिवास पुत्र श्री बिरमाराम को आवंटित भूखण्ड के संबंध में।**

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 238 सेक्टर–'ए', मामा अचलेश्वर प्रसाद योजना ग्राम सांगरिया, जोधपुर में दिनांक 04.03.1999 को श्री उम्मेद सिंह सान्दू पुत्र श्री शेषकरण सान्दू को 167.22 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । सडक का नाप 40' है । उक्त भूखण्ड की राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवा दी गई थी ।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा इसी योजना दिनांक 25.04.2008 को भूखण्ड संख्या 238 सेक्टर –'ए' माम अचलेश्वर प्रसाद योजना ग्राम सांगरिया, जोधपुर में श्री रामनिवास पुत्र श्री बीरमाराम को 167.22 वर्गमीटर का आवंटित कर दिया गया था । सडक का नाप 40' है । प्रार्थी द्वारा इसी भूखण्ड की भी राशि जमा करवा दी गई ।

इस प्रकार मामा अचलेश्वर प्रसाद योजना ग्राम सांगरिया में दोहरा आवंटन हो गया और भूखण्ड 200 फीट बाईपास से प्रभावित हो जाने के कारण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.03.2015 के प्रस्ताव संख्या 15 के अनुरार आवेदको से विकल्प मांगे जाने का निर्णय लिया गया । प्रार्थी श्री उम्मेद सिंह ने राजीव गांधी में समकक्ष तूल्य भूखण्ड तथा मुख्य सडक पर भूखण्ड तथा भूखण्ड संख्या बी–113, राजीव गांधी नगर योजना चौखा में दिलवाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई । भूखण्ड संख्या बी–113 राजीव गाधी नगर योजना श्री परवीन अख्तर को आवंटित है । और लीजडीड भी जारी है । श्री उम्मेद सिंह को राजीव गांधी नगर में अनरूप समकक्ष विकल्प का भूखण्ड देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से राजीव गांधी नगर चौखा में रिक्त भूखण्डो की मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को सेक्टर–'ई' राजीव गांधी नगर का कनिष्ठ अभियन्ता के साथ मौका देख कर भूखण्ड आवंटित करने के लिए सहमति मांगी गई । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2018 के अनुसार राजीव गांधी नगर योजना में सेक्टर–'ई' में बडे गढ्ढे व भूखण्ड पर जाने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड लेने से इन्कार कर प्राधिकरण की अरणा विहार योजना ग्राम बडली में भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की गई । श्री उम्मेद सिंह सान्दू पुत्र श्री शेषकरण सान्दू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अरणा विहार योजना ग्राम बडली में भूखण्ड संख्या 11 सेक्टर–'बी' में समतुल्य 162 वर्गमीटर का व सडक की चौडाई 12 मीटर पर रिक्त है। भूखण्ड संख्या 11 सेक्टर–बी अरणा विहार योजना ग्राम बडली में आवंटन करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी श्री उम्मेद सिंह को अरणा विहार योजना में भूखण्ड संख्या 11 सेक्टर बी क्षैत्रफल 162 वर्ग मीटर वैकल्पिक भूखण्ड के रूप में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर–05, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर में दोहरा आवंटन होने बाबत।

1– श्रीमती ईश्वरी पत्नी श्री जीवतराम भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर–05, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर
2– श्री कन्हैयालाल जोशी पुत्र श्री सुखदेव जोशी भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर–05, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर

कार्यालय नगर विकास न्यास जोधपुर में कार्यालय आदेश क्रमांक 3179–83 दिनांक 21.08.2008 के अनुसार भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर–05 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर में श्रीमति ईश्वरी देवी पत्नी श्री जीवतराम को 15×30=41.80 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.11.2009 को श्रीमति ईश्वरी पत्नी श्री जीवतराम के नाम जारी की जा चुकी है ।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 22.02.2018 को अधिवक्ताओं के लिए निकाली गई रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर–05, में श्री कन्हैयालाल जोशी पुत्र श्री सुखदेव जोशी को 15×30=41.80 वर्गमीटर को आवंटन किया गया । प्रार्थी श्री कन्हैयालाल जोशी पुत्र श्री सुखदेव जोशी के द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि दिनांक 09.05.2018 को जमा करवा दिये है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.05.2018 को लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा पूर्ण जांच कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो जाने के कारण प्रार्थी श्री कन्हैयालाल जोशी पुत्र श्री सुखदेव जोशी को रामराज नगर योजना में उसी अनुरूप अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार दोहरे आवंटन का प्रकरण होने से श्री कन्हैयालाल जोशी को रामराज नगर योजना में अन्य समतुल्य भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर में दोहरा आवंटन होने बाबत।

1– श्री रघुनाथ सिंह गौड पुत्र श्री प्रतापसिंह गौड भूखण्ड संख्या 393 सेक्अर–01, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर
2– श्री रामस्वरूप टाक पुत्र श्री नाथूराम टाक, भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर

कार्यालय नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा लॉटरी दिनांक 14.07.2008 के अनुसार भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना ग्र्रम चौखा जोधपुर में श्री रघुनाथ सिंह गौड पुत्र श्री प्रताप सिंह गौड को 25'×49'=113.80 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.09.2009 को श्री रघुनाथ सिंह गौड पुत्र श्री प्रताप सिंह गौड के नाम जारी की जा चुकी है ।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लॉटरी दिनांक 14.07.2008 के अनुसार भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा श्री रामस्वरूप टाक पुत्र श्री नाथुराम टाक को 25'×49'=113.80 वर्गमीटर को आवंटन किया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की राशि जमा करवा दी गई । भूखण्ड संख्या 254 सेक्टर–01, रामराज नगर अतिक्रमंण में आ जाने के कारण वैकल्पक भूखण्ड का आवंटन हेतु दिनांक 14.10.2010 को लॉटरी द्वारा श्री रामस्वरूप टाक को भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना में आवंटित किया गया। भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.08.2011 को श्री रामस्वरूप टाक पुत्र श्री नाथुराम टाक के नाम जारी की जा चुकी है ।

भूखण्ड संख्या 393 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना श्री रघुनाथ सिंह गौड पुत्र श्री प्रातप सिंह गौड द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्ट्रर्ड पंजीकृत बैचान दिनांक 16.07.2012 को श्रीमति प्रेम कंवर राठौड पत्नी श्री पन्ने सिंह राठौड को कर दिया गया । श्रीमति प्रेम कंवर पत्नी श्री पन्ने सिंह राठौड द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण करवाने के लिए दिनांक 23. 05.2018 आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा पूर्ण जांच कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड का दोहरा आवंटन हो जाने के कारण प्रार्थी श्री रामस्वरूप टाक पुत्र श्री नाथुराम टाक को रामराज नगर येाजना में उसी अनुरूप अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्री रामस्वरूप टाक पुत्र को विकल्प में आवंटित भूखण्ड संख्या 393/1 रामराज नगर योजना जिसका दोहरा आवंटन हो चुका है, के बदले में समतुल्य भूखण्ड रामराज नगर योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: श्री आरिफ मलकानी पुत्र श्री एम.आर. मलकानी भू–खण्ड संख्या 58 सेक्टर–05, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की लॉटरी दिनांक 22.02.2018 के अनुसार रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में श्री आरिफ मलकानी पुत्र श्री एम.आर. मलकानी को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–05, क्षैत्रफल 15× 30 =41.81 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । सडक का नाप 40' है । उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 26.03.2018 को जारी किया गया । प्रार्थीनी ने आवंटन पत्र के अनुसार भूखण्ड की कीमत राशि रूपये 2,38,451/– दिनांक 17.04. 2018 को जमा करवा दी गई । प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 23.04..2018 को कार्यालय में लीजडीड (पट्टा) जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया । भूखण्ड की लीजडीड (पट्टा) जारी करने की कार्यवाही में कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड का क्षैत्रफल कम मिल रहा है । पीछे की तरफ कच्ची लम्बी चारदीवारी बनी हुई है । जो जानकारी अनुसार वन विभाग की हो सकती हे । साथ ही भूखण्ड संख्या 56, 57 की जगह वर्तमान में रोड बनी हुई है, जो हिंगलाज माता मंदिर गेट की ओर जा रही है । मौके पर भूखण्ड की साईज 15 × 30 = 41-81 वर्गमीटर के स्थान पर 25.6+23x15/2 = 33.79
वर्गमीटर का ही उपलब्ध हो रहा है । प्रार्थी को मौके पर भूखण्ड का क्षैत्रफल कम होने के कारण संशोधित आवंटन पत्र क्षैत्रफल 15 ~~×23 =~~ 32.05 वर्गमीटर का दिनांक 07.06.2018 को जारी किया गया। प्रार्थी को अधिक जमा क्षैत्रफल की राशि रूपये 57,974/– रिफण्ड करने का आदेश कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–48/वसूली(पश्चिम)/2018/340–345 दिनांक 19.06. 2018 को जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.06.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रामराज नगर योजना में उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने की मांग की गई ।

2/8/18

अतः प्रार्थी को इसी योजना में समकक्ष नाप का भूखण्ड व समान सडक की चौडाई पर आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री आरिफ मलकानी जिन्हें लॉटरी दिनांक 22 फरवरी, 2018 के अनुसार रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–5 क्षैत्रफल 41.81 वर्ग मीटर आवंटन किया गया था, के नाप का क्षैत्रफल मौके पर नहीं होने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करते हुए समान नाप का अन्य भूखण्ड इसी योजना में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 42 :: श्री विजय कलाल पुत्र श्री शिवराज कलाल भूखण्ड संख्या 16 सेक्टर डी, पूर्वी पाल रोड योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 08.03.1985 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 16 सेक्टर–'डी' पूर्वी पाल रोड़ योजना जोधपुर में 252 वर्गमीटर का श्री विजय कलाल पुत्र श्री शिवराज कलाल को आवंटन किया गया था । सडक का नाप 12.20 मीटर है । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की देय राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 18.07.1995 को प्राप्त कर लिया गया था । योजना क्षैत्र में खसरा विवाद होने के कारण प्रार्थी को भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने के कारण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.09.2011 के प्रस्ताव संख्या 04(11) निर्णय अनुसार वैकल्पिक भूखण्ड राजीव गांधी नगर ग्राम चौखा योजना में ही भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से सहमति प्राप्त होने पर ही भूखण्ड आवंटन किया जावें । आवंटी को कनिष्ठ अभियन्ता के साथ राजीव गांधी नगर योजना में आवंटन योग्य भूखण्डों का मौका मुआयना करवाया गया परन्तु सभी भूखण्डों की उबड–खाबड स्थिति को देखकर आवंटी ने सहमति प्रदान करने की बजाय प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2018 को प्रस्तुत कर रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में समतल भू–भाग पर भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार भूखण्ड संख्या डी–16 पूर्वी पाल रोड योजना के बदले रामराज नगर योजना में समकक्ष एवं समान सडक पर भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के सनक्ष प्रस्तुत है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्री विजय कलाल को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 16 सेक्टर डी, पूर्वी पाल रोड योजना क्षैत्रफल 252 वर्ग मीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समकक्ष समान आकार यथा सम्भव समान सडक पर विकल्प में अन्य भूखण्ड आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

2/8/19

प्रस्ताव संख्या 43 :: श्री डॉ. रमेशचन्द्र बी. माथुर को आवंटित भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर ए पूर्वी पाल रोड

श्री डॉ. रमेशचंद्र बी. माथुर को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में भूखण्ड सं. 25 सेक्टर ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटन कर लाईसेंस जारी किया गया। उक्त भूखण्ड ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 740/996 में स्थित हैं खसरा नं. 740/996 रकबा 14.15 बीघा भूमि में से 10.03 बीघा भूमि के संबंध में न्यायालय वाद प्राधिकरण के विपरित हुआ है।

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 9.2.2018 के प्रस्ताव सं. 24 में निर्णय लिया कि प्रार्थी को अरना विहार योजना में आवंटन हेतु सहमति प्राप्त कर भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की जावें। इस संबंध में प्रार्थी से कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय की पालना में अरना विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने की सहमति हेतु पत्र प्रार्थी को प्रेषित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.4.2018 को अरना विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत नही की है। रामराज नगर भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत की गयी।

रामराज नगर योजना में रिक्त भूखण्डो में से अतिक्रमणरहित भूखण्ड मौका रिपोर्ट कनिष्ठ अभियंता से लेने के पश्चात् ही प्रार्थी से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः रामराज नगर में यथासंभव समान आकार एव समान सडक की चौडाई का भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में प्रार्थी डॉ. रमेशचन्द्र बी. माथुर के प्रार्थना–पत्र पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इन्हें पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–25 क्षैत्रफल 252 वर्ग मीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समान आकार का भूखण्ड आवंटन किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 44 :: श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा, भूखण्ड संख्या 208 दन्तोपंत ढ़ेगडी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा लॅटरी दिनांक 25.07.2008 के अनुसार भूखण्ड संख्या 208 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर में श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा को क्षैत्रफल 178.36 वर्गमीटर का आवंटित किया गया था । सडक का नाप 40' है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 14.08.2009 को प्राधिकरण द्वारा श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा के नाम जारी की गई ।

प्रार्थी श्री महेंन्द्र शर्मा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 09.04.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूखण्ड 25–30 फीट गहरे गड्डे में स्थित होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की गई है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 208 से 213 तक भूखण्ड गहरे गड्डे में स्थित है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट आने के बाद

तहसीलदार (पश्चिम) की मौका रिपार्ट मंगवाई गई । तहसीलदार (पश्चिम) मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड गहरे गड्डे में होना बताया गया है । प्रार्थी का भूखण्ड संख्या 208 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा गहरे गड्डे में होने के कारण समान आकार व समान रोड पर समकक्ष भूखण्ड रामराज नगर योजना ग्राम चौखा व अरणा विहार योजना ग्राम बडली में से वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रार्थी के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को समान आकार का भूखण्ड अरणा विहार/ रामराज नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड के रूप में आवंटन किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 45 :: श्रीमती कमला भाटी पत्नी स्व. श्री मांगीलाल, भूखण्ड संख्या 493, सेक्टर–जे, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.2008 को श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल को भूखण्ड संख्या 129 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर क्षेत्रफल 113.81 वर्गमीटर आवंटित किया गया था । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सडक सीमा मे आने के कारण प्रार्थीनी कमला भाटी ने प्राधिकरण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष (द्वितीय) जोधपुर में वाद प्रस्तुत किया । प्रकरण संख्या 419/2011 के निर्णय दिनांक 30.09.2013 के द्वारा प्रार्थीया को दन्तोपन्त ढेगडी नगर में भूखण्ड संख्या 129 सडक सीमा में आ जाने के कारण उसके बदले में राजीव गांधी नगर योजना में 113.81 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय किया गया तथा आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/आवंटन (पश्चिम)2015/159 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में 113.81 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । जिसमें पूर्व भूखण्ड व वर्तमान भूखण्ड राजीव गांधी नगर की वर्तमान आरक्षित दर की गणना करते हुए बकाया राशि 1,64,184 रूपये जमा कराने हेतू श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल भाटी को 30 दिवस का समय दिया गया । श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल भाटी के द्वारा जिला विवाद मंच संख्या 2, जोधपुर जरिये अधिवक्ता से पत्र भेज कर भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर– आई, राजीव गाधी नगर योजना ग्राम चौखा की बकाया राशि का भुगतान जमा कराने में असमर्थता जताने के कारण प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2015 के समक्ष रखा गया । कार्यकारी समिति के प्रस्ताव संख्या 25 के अनुसार प्पार्थीनी कमला भाटी को भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई, राजीव गाधी नगर योजना चौखा के बदले समकक्ष वैल्यू का भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया । कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/ आवंटन (पश्चिम)/2016/666 दिनांक 12.10.2015 के द्वारा भूखण्ड संख्या 493 सेक्टर–जे, 90 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योंजन ग्राम चौखा जोधपुर में आवंटित किया गया । प्रार्थीनी ने जिला उपभोक्ता मंच की पालना के द्वारा भूखण्ड की मौके पर सुविधाओं के अभाव कारण व उक्त भूखण्ड संख्या 493 सेक्टर–जे, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा की कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड सडक सीमा व नाले पर होने के कारण भूखण्ड को लेने में असमर्थता जताते हुए अन्यत्र भूखण्ड की मांग की है । प्रार्थीनी को समतल आकार व सडक की चौडाई अनुसार

रामराज नगर योजना ग्राम चौखा या अरणा विहार योजना ग्राम बडली में से वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से माननीय जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय की पालना में प्रार्थी को राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड संख्या 493 सेक्टर–जे के स्थान पर समान आकार का भूखण्ड अरणा विहार अथवा रामराज नगर योजना में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 46 :: भूखण्ड संख्या ए–7 मण्डलनाथ आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में। श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री विशन दास

भूखण्ड संख्या ए–7 मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 12.9.2015 को क्षेत्रफल 40 बाई 60 = 222.97 वर्गमीटर का श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री विशन दास को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 1059 दिनांक 12.1.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 12.1.2016 को जारी किया जा चुका है। जो 2 वर्ष 3 माह 09 दिन देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:
90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि 2 वर्ष 3 माह 09 दिन हो चुके है तथा 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति वास्ते भिजवाये जाने हेतु वास्ते प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

चूंकि प्रार्थी श्री लक्ष्मणदास को मण्डलनाथ आवास योजना में भूखण्ड आवंटन दिनांक 12 जनवरी, 2016 को किया गया था जिसकी मूल राशि भी आवंटी द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है। प्रकरण पर विचार विमर्श समिति ने पाया कि वर्तमान में भूखण्डों का विक्रय नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भूखण्ड आवंटन के निरस्तीकरण से 2 वर्ष से अधिक की समय सीमा समाप्त हो

जाने के कारण प्रार्थी से भूखण्ड की कीमत मय ब्याज व शास्ति (वर्तमान आरक्षित दर) के आधार पर बहाल करने के लिए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 47 :: भूखण्ड संख्या बी–10 मण्डलनाथ आवासीय येाजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के सबंध में। श्री अश्वनी कुमार पुरोहित पुत्र श्री गोपी किशन पुरोहित।

भूखण्ड संख्या बी–10 मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 12.9.2015 को क्षेत्रफल 40 बाई 60 = 222.97 वर्गमीटर का श्री अश्वनी कुमार पूरोहित पुत्र श्री गोपी किशन पूरोहित को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 64 दिनांक 28.10.2015 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 28.10.2015 को जारी किया जा चुका है। जो 3 वर्ष 6 माह 20 दिन देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन / बहाल हेतु:–:
90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन / बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

वर्तमान में उक्त भूखण्ड मौके पर खाली है। प्रार्थी द्वारा ब्याज व शास्ती जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है।

उक्त भूखण्ड की राशि 3 वर्ष 6 माह 20 दिन हो चुके है तथा 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति वास्ते भिजवाये जाने हेतु वास्ते प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

चूंकि प्रार्थी श्री अश्वनी कुमार पुरोहित को मण्डलनाथ आवास योजना में भूखण्ड आवंटन दिनांक 12 जनवरी, 2016 को किया गया था जिसकी मूल राशि भी आवंटी द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है। प्रकरण पर विचार विमर्श समिति ने पाया कि वर्तमान में भूखण्डों का विक्रय नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भूखण्ड आवंटन के निरस्तीकरण से 2 वर्ष से अधिक की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण प्रार्थी से भूखण्ड की कीमत मय ब्याज व शास्ति (वर्तमान आरक्षित दर) के आधार पर बहाल करने के लिए राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 48 :: भूखण्ड संख्या 126, सेक्टर डी के पूर्वी पाल योजना के स्थान पर रामराज नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 126, सेक्टर डी, क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर **श्री दीपचन्द पुत्र श्री फुलचन्द** आवंटित हुआ। **आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड़ श्री नरेन्द्र कुमार बरमेचा को बेचान कर दिया नरेन्द्र कुमार बरमेचा द्वारा भूखण्ड़ आवंटन** की मांग कर रहा हैं। भूखण्ड़ संख्या 126, सेक्टर डी खसरा नं. 740 / 1015 / ग्राम जोधपुर में स्थित हैं। उक्त खसरो में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 6836 / 12 प्रतापसिंह V/s JDA

वाद लम्बित होने के कारण प्रार्थी द्वारा **रामराज नगर योजना** में समान आकार के भूखण्ड़ आंवटन करने की मांग की हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी से पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 156 सेक्टर डी, पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर रामराज नगर में समान आकार का भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 49 :: भूखण्ड संख्या 205, सेक्टर ए, के मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर रामराज नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की **मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर** योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 205, सेक्टर ए क्षेत्रफल 30x60 वर्गगज **श्री जुगलकिशोर हर्ष/मगदत्त हर्ष** को आवंटित हुआ। भूखण्ड़ संख्या 205, सेक्टर ए, प्रस्तावित 200 फीट बाईपास में आने के कारण प्रार्थी द्वारा **रामराज नगर योजना** में समान आकार के भूखण्ड़ आंवटन करने की मांग की हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी श्री जुगलकिशोर हर्ष पुत्र श्री मगदत्त हर्ष को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना प्रस्तावित 200 फीट बाईपास में आने के कारण समान आकार का भूखण्ड रामराज नगर में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 50 :: भूखण्ड संख्या 1032, सेक्टर एच, विवेक विहार योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने बाबत।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी दिनांक 28.09.2011 को भूखण्ड़ संख्या 1032, सेक्टर एच 92.90 वर्गमीटर **श्री पूनमचन्द पुत्र श्री लादुराम** को आवंटित हुआ। मूल पत्रावली मुझे चार्ज में प्राप्त नहीं हुई एवं पूर्व लिपिक द्वारा उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं। आवंटी द्वारा बार–बार प्रार्थना–पत्र व उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होकर आवंटन पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। कार्यालय द्वारा दिनांक 02.05.2015 पुलिस थाना रातानाड़ा में पत्रावली गुम हेतु रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हैं। अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

2/8/12

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार श्री पूनमचन्द जिन्हें विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हुआ था, की डुप्लीकैट पत्रावली खोलने के लिए उपायुक्त–दक्षिण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 51 :: भूखण्ड संख्या 7, सेक्टर बी, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की **मामा अचलेश्वर प्रसाद** नगर **योजना** में लॉटरी दिनांक 25.04.2008 को भूखण्ड़ संख्या 7, **श्री भीमसिंह पुत्र जगदीश** सिंह को 30x60=167.22 वर्गमीटर का आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा भूखण्ड़ की राशि 205730/–दिनांक 20.06.2008 को जमा करवाई गई हैं, परंतु भूखण्ड़ का नाप 13+60x60 का आवंटन हुआ। मौके पर भूखण्ड़ का नाप सही नहीं होने के कारण आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड़ के स्थान पर इसी योजना में भूखण्ड़ आवंटन की मांग कर रहा हैं। कार्यालय रेकर्ड में भूखण्ड़ संख्या 9, सेक्टर बी, नाप 30x60=167.22 उपलब्ध हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में उपायुक्त (दक्षिण) ने अवगत कराया कि प्रस्ताव में वर्णित भूखण्ड का नाप 13+60x60 नहीं होकर वास्तव में यह 13+60/2x60 feet है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्री भीमसिंह को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 7 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना का आकार सही नहीं होने के कारण इसी योजना में अन्य भूखण्ड संख्या 9 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 167.22 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 52 :: भूख्ण्ड संख्या 153 क, सेक्टर ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की **मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना** में लॉटरी दिनांक 25.04.2008 को भूखण्ड़ संख्या 153 क, सेक्टर ए, **श्री पदम विनोदानी** को कॉर्नर भूखण्ड़ आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा कॉर्नर भूखण्ड़ की राशि दिनांक 18.06.2018 को जमा करवाई गई हैं, परंतु भूखण्ड़ संख्या 153, दोहरा आवंटन होने के कारण माननीय न्यायालय की पालना व प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.03.2015 के निर्णय अनुसार आवंटी **श्रीमती केशरदेवी पत्नी श्री बुद्धाराम** को पट्टा जारी करने का निर्णय व दूसरे आवंटी से विकल्प लेने का निर्णय लिया गया, परंतु प्रार्थी **श्री पदम विनोदानी** द्वारा इसी योजना में कॉर्नर भूखण्ड़ आवंटन की मांग कर रहा हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में वर्णित भूखण्ड की राशि जमा कराने की तिथि दिनांक 18.06.2018 नहीं होकर वास्तव में दिनांक 18.06.2008 है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 153 दोहरे आवंटन में आने के कारण श्री पदम विनोदानी को इसी योजना में पूर्व अनुसार समान नाप का अन्य कॉर्नर भूखण्ड आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड

आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 53 :: भूखण्ड संख्या 70, सेक्टर एल, विवेक विहार योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड़ संख्या 70, सेक्टर एल, नाप 139.34 वर्गमीटर **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री श्रवणराम** को आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा भूखण्ड़ की राशि दिनांक 07.11.2013 को जमा करवाकर पट्टा जारी करने की मांग की हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व दोहरे आवंटन की सूची को देखने पर पाया कि उक्त भूखण्ड़ अवाडी को भी आवंटन हैं। अवाड शाखा रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड़ की लीजडीड 17.06.2013 को जारी की जा चुकी हैं। आवटी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इसी योजना में इसी नाप का भूखण्ड़ आवंटन की मांग की हैं। एन.आई.सी. शाखा द्वारा रिक्त भूखण्ड़ की सूची उपलब्ध करवाई गई, जिसमें भूखण्ड़ संख्या 68, सेक्टर एल, 139.34 वर्गमीटर 30 फीट की रोड़ पर खाली होना बताया हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्री महावीर प्रसाद को भूखण्ड संख्या 68 सेक्टर एल क्षैत्रफल 139.34 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय लिया गया क्योंकि भूखण्ड संख्या 70 सेक्टर एल की अवार्डी श्री नारायण राम पुत्र श्री राधाकिशन को दिनांक 17 जून, 2013 को लीज डीड जारी हो चुकी है। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 54 :: भूखण्ड संख्या 14, सेक्टर डी, के पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 14, सेक्टर डी, क्षेत्रफल 250 वर्गमीटर आवंटी **श्री देवीसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह** को आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा भूखण्ड़ की राशि जमा करवा दिनांक 31.03.1997 को लाईसेस प्राप्त किया। आवंटी द्वारा बार–बार भूखण्ड़ का कब्जा जारी करने की मांग कर रहा था। परंतु उक्त योजना में खसरा संख्या 740/1017 में विवाद होने व माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। मूल आवंटी की मृत्यु हो जाने के कारण आवंटी के वारिश द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड़ **सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना** में शिफ्ट करने की मांग की हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री देवीसिंह को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 14 सेक्टर डी के स्थान पर विकल्प प्राप्त कर रामराज नगर अथवा अरणा विहार योजना में बाद इनके वारिसों की उचित जांच के आवंटन किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित

किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए आवंटी के वारिस को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 55 :: भूखण्ड संख्या 5, सेक्टर ए, के पूर्वी पाल योजना के स्थान पर रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 5, सेक्टर ए, क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटी **श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर** को आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा भूखण्ड़ की राशि जमा करवा दिनांक 03.08.1991 को लाईसेंस प्राप्त किया। आवंटी द्वारा बार-बार भूखण्ड़ का कब्जा जारी करने की मांग कर रहा था। परंतु उक्त योजना में खसरा संख्या 740/996 में विवाद होने व माननीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेक विहार योजना रामराज नगर योजना व विजय राजे नगर योजना में भूखण्ड़ दिलाने की मांग की हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री मुकुट लाल माथुर को रामराज नगर योजना में समान आकार का भूखण्ड आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए आवंटी के वारिस को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 56 :: भूखण्ड संख्या 183, सेक्टर ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की **मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना** में नीलामी द्वारा भूखण्ड़ संख्या 183, सेक्टर ए, **श्री एस.एस. पंवार पुत्र श्री के.एस.** पंवार द्वारा कॉर्नर भूखण्ड़ 30x60 खरीद किया गया था। उक्त भूखण्ड़ प्रस्तावित 200 फीट बाईपास में आने के कारण प्रार्थी श्री एस.एस. पंवार के मृत्यु पश्चात् उनके वारिसतों द्वारा इसी योजना में भूखण्ड़ दिलवाने की मांग की हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री एस.एस. पंवार को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में समान आकार का अन्य भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 57 :: भूखण्ड संख्या 216, सेक्टर ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटन बाबत।

2/8/10

श्री प्रशांत कुमार चटर्जी को मामा अचलेश्वर प्रसाद को प्राधिकरण की आवासीय योजना में भूखण्ड सं. ए–216 सेक्टर ए क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर आवंटन कर लाईसेंस जारी किया गया। उक्त भूखण्ड प्राधिकरण की आवासीय योजना मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर में आवासीय द्वारा भूखण्ड आवंटन किया गया था। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्डो की किमत राशि समयअवधी में जमा करा दी है एंव आवंटित भूखण्ड की लीज डीड भी प्राप्त कर ली है।

उपरोक्त भूखण्ड में से मास्टर प्लॉन में 200 फीट सडक मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सागंरिया से निकलनी प्रस्तावित है, अतः नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र क्रंमाक प. 1(2)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 17.03.2016 से निर्देशानुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड एवज में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीव गांधी सेक्टर ए में भूखण्ड आवंटन की सहमति प्रस्तुत की है।

कनिष्ठ अभियंता मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 255 सेक्टर ए में पहाड़ी क्षेत्रों में एवं मुटाम नहीं होने से भूखण्ड का नाप नहीं लिया जा सकता है।

अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता के रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का स्वीकृत ले–आउट अनुसार मौके पर बरसाती नाला व पानी का बहाव होने के कारण का भूखण्ड के मुटाम लगाये जाने संभव नही दर्शाया है।

प्रार्थी द्वारा निम्न योजना राजीव गांधी नगर योजना, रामराज नगर व अरणा विहार योजना में प्रार्थी द्वारा वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किया जा सकेगा।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयाथ व विचारधीन प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री प्रशांत कुमार चटर्जी को पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर समान माप का भूखण्ड रामराज नगर अथवा अरणा विहार योजना में आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 58 :: भूखण्ड संख्या 159, सेक्टर जी, के पूर्वी पाल योजना के स्थान पर रामराज नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 159, सेक्टर जी, क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर **श्री आनन्द प्रकाश** को आवंटित हुआ। उक्त योजना के सेक्टर जी, में भूखण्ड़ संख्या 159, में खसरो का विवाद होने के कारण आवंटी द्वारा **रामराज नगर योजना** में समान आकार के भूखण्ड़ आंवटन करने की मांग की हैं। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी श्री आनन्द प्रकाश को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर रामराज नगर में समान आकार का भूखण्ड आवंटित किया जावे। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 59 :: भूखण्ड संख्या 86, सेक्टर जी, के पूर्वी पाल योजना के स्थान पर अरना विहार में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड़ संख्या 86, सेक्टर जी, क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर **श्रीमती शिमला पत्नी श्री महेश कुमार** को आवंटित हुआ। भूखण्ड़ खसरा नं. 740/1008 में वाद लम्बित होने के कारण प्रार्थीनी को **राजीव गांधी नगर योजना** में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.04.2018 को देने का निर्णय लिया गया। पत्रावली में आयुक्त महोदय के आदेशानुसार **अरना विहार** में भूखण्ड़ देने हेतु प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार पूर्वी पाल रोड योजना में श्रीमती शिमला को पूर्व आवंटित भूखण्ड पूर्वी पाल रोड योजना व राजीव गांधी नगर योजना में निरस्त करते हुए अरणा विहार योजना में 120 वर्ग मीटर क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर यह वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के कारण प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को जारी किये जाने वाले नवीन आवंटन आदेश में उक्त निरस्तीकरण का अंकन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 60 :: भूखण्ड संख्या 623, सेक्टर एच, विवेक विहार योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने बाबत।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी दिनांक 20.09.2011 को भूखण्ड़ संख्या 623, सेक्टर एच, 92.90 वर्गमीटर **श्री अजय सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह** को आवंटित हुआ। आवंटी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर भूखण्ड़ का पट्टा प्राप्त किया। आवंटी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बेचान अनुमति की मांग की हैं। उक्त पत्रावली दिनांक 08.04.2015 को राशि की गणना हेतु आई.आर.ए. को भेजी गई। उक्त पत्रावली बहुत ढूँढने पर भी उपलब्ध नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा नाम हस्तानान्तरण व एक मुश्त लीज प्रमाण–पत्र की मांग कर रहा हैं। अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विवेक विहार योजना में श्री अजयसिंह की डुप्लीकेट पत्रावली बाद जांच नियमानुसार खोलने के लिए उपायुक्त–दक्षिण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 61 :: भूखण्ड संख्या 202, सेक्टर एल, विवेक विहार योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने बाबत।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को **भूखण्ड़ संख्या 202, सेक्टर एल, 139.34 वर्गमीटर, श्री मोहम्मद शाहबाज खॉन पुत्र श्री गुलाम दस्तगीर खॉन** को आवंटित हुआ। मूल पत्रावली मुझे चार्ज में प्राप्त नहीं हुई, एवं पूर्व लिपिक द्वारा उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं। पत्रावली ढूँढने हेतु सर्च–नोट जारी किया गया। संबंधित शाखाओं द्वारा सर्च–नोट पर हस्ताक्षर कर पत्रावली उपलब्ध होना नहीं बताया गया हैं। आवंटी द्वारा बार–बार प्रार्थना–पत्र व सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आवंटन पत्र जारी

करने की मांग कर रहा है। अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विवेक विहार योजना में श्री मोहम्मद शाहबाज खान की डुप्लीकेट पत्रावली बाद जांच नियमानुसार खोलने के लिए उपायुक्त–दक्षिण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 62 :: भूखण्ड संख्या 56, सेक्टर ई, विवेक विहार योजना में विलंब से राशि जमा होने के संबंध में।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी द्वारा **भूखण्ड संख्या 56, सेक्टर ई, नाप 195.09 वर्गमीटर, श्री गोपीलाल पुत्र श्री भरमलराम** को आवंटन हुआ। कार्यालय द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 18.07.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा राशि 16.07.2013 को जमा करवाई गई। जो आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3, के अनुसार नहीं हैं। आवंटी द्वारा उक्त राशि 90 दिवस बाद व 362 दिन विलंब से जमा करवाई गई हैं। आवंटी द्वारा 19.04.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी करने की मांग की हैं। प्रकरण नियमन के संबंध में सक्षम अनुमति हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 29 के निर्णयानुसार प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति की राशि ली जाकर प्रकरण का नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 63 :: भूखण्ड संख्या 44, सेक्टर सी, पूर्वी पाल रोड योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने बाबत।

तत्कालीन नगर निकास न्यास व वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की **पूर्वी पाल रोड़ योजना** में लॉटरी द्वारा **भूखण्ड संख्या 44, सेक्टर सी, 139.34 वर्गमीटर, श्री नरेन्द्र सिंह** को आवंटित हुआ। मूल पत्रावली मुझे चार्ज में प्राप्त नहीं हुई, एवं पूर्व लिपिक द्वारा उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं। पत्रावली ढूँढने हेतु सर्च–नोट जारी किया गया। संबंधित शाखाओं द्वारा सर्च–नोट पर हस्ताक्षर कर पत्रावली उपलब्ध होना नहीं बताया गया हैं। आवंटी द्वारा बार–बार प्रार्थना–पत्र पेश कर पट्टा जारी करने की मांग कर रहा है। अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार श्री नरेन्द्रसिंह को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड की पत्रावली नहीं होने के कारण डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के लिए उपायुक्त–दक्षिण को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 64 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दिन–रात के किराया निर्धारण के संबंध में।

2/8/18

जोधुपर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 15.05.2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के आवंटन नियम/विनियम बाबत् प्रस्ताव के अंतर्गत रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने पर आवेदक से रू. 50,000/– प्रतिघण्टे की दर से किराये की राशि निर्धारित की गई एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 35 में दिन–रात क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए एक दिन में कम से कम 4 घण्टे फलड लाईटों का उपयोग आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में भी, शुल्क का निर्धारण 4 घण्टे के आधार पर किया जायेगा एवं न्यूनतम धरोहर राशि 50,000/– रू करने का सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया। जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 11 मे किया गया।

एम.स्टार (आयेाजनकर्ता) द्वारा दिनांक 11.06.2018 को पत्र पेश कर माहेश्वरी समाज की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयेाजित करने हेतु दिनांक 04.10.2018 से 07.10.2018 तक कुल 04 दिवस हेतु बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान आवंटन की मांग की गई है। बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में फलड लाईटों का संचालन करने हेतु प्राधिकरण द्वारा 250 के.वी. का 01 जनरेटर व 380 के.वी. के कुल 4 जनरेटर सैट लगे हुए है। 250 के.वी. जनरेटर में प्रतिघण्टा अनुमानित 50 लीटर डीजल की खपत है एवं 380 के.वी. जनरेटर सैट में अनुमानित 95–100 लीटर डीजल की खपत है एवं साथ ही 60 घण्टे जनरेटर का संचालन होने पर जनरेटर ऑयल व फिल्टर बदलना पड़ता है।

गत वर्ष डीजल की दरों की तुलना में वर्तमान में डीजल की दरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। डीजल की खपत अधिक होने के कारण किराये की दरो में संसोधन किया जाना है। अधिशाषी अभियंता (विद्युत) द्वारा भी कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/45 में 50,000/– प्रतिघण्टे में रू. 10,000/–की बढोतरी करते हुए 60,000/– प्रतिघण्टे की दर निर्धारित करने का उल्लेख किया गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार वर्तमान में डीजल की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बरकतुल्लाह खां सटेडियम में फलड लाईट का उपयोग करने पर 50,000/– रूपये प्रति घण्टा की दर के स्थान पर 60,000/– रूपये प्रति घण्टा दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी एवं शेष अन्य शर्ते पूर्व अनुसार ही यथावत् रहेगी। यदि कोई पूर्व में बुकिंग हो चुकी है एवं उसकी राशि जमा हो चुकी है तो उस पर यह बढी हुई दरें लागू नहीं होगी।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग–9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या ..30.../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

2/8/18
(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2018/520 – 536 दिनांक :: 02-08-2018

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर

02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय/उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

2/8/18
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 27 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री छगन लाल गोयल, अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम, जोधपुर
2.	श्री संजीव माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री जयसिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4.	श्री भँवरलाल दईया, जोनल मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5.	श्री नारायणलाल मीणा, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
6.	श्री ईश्वर पारिक, एस.आई. रीडर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय, जोधपुर
7.	श्री भानुप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन स्वागत केन्द्र, जोधपुर
8.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री राकेश कुमार शर्मा, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव